बृहद् सेवारत शिक्षक - अभिनवीकरण कार्यक्रम - 1989

FOR REFERENCE ONLY

शिक्षक संदर्शिका

• पूर्व माध्यमिक
• माध्यमिक स्तर

-31
RPT-1
UTT-

विद्यालय में कार्यानुभव और खे[ल]
आयोजन एवं मूल्यांक[न]

राज्य शैक्षिक अनुसंधान औ[र]
प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्र[देश]

शिक्षक संदर्शिका
विद्यालय में कार्यानुभव और खेल-कूद आयोजन एवं मूल्यांकन

NIEPA DC
D04835

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

शिक्षक संदर्शिका
विद्यालय में कार्यानुभव और खेल-कूद
आयोजन एवं मूल्यांकन

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurobindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.....4.8.35.....
Date...14/8/89.....

प्रकाशक
निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

© उत्तर प्रदेश सरकार

प्रथम संस्करण : अप्रैल, 1988
द्वितीय संस्करण : अप्रैल, 1989

मुद्रक : प्रेम प्रिंटिंग प्रेस,
257, गोलागंज, लखनऊ-18

आमुख

वर्ष 1986 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' संसद से पारित होते ही वृहद् अ'ध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया। इस नीति में यह स्वीकारा गया है कि किसी भी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टि का पता लगता है। कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति अपने अ'ध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज की ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए जिनसे अध्यापकों की निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नये प्रयोग कर सकें और सम्प्रेषण की उपयुक्त विधियाँ और अपने समुदाय की सम्मस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नये उपाय निकाल सकें।

एक आदर्श नागरिक के व्यक्तित्व के सम्यक् विकास के लिए मानवीय आचरण के वे सभी पक्ष महत्वपूर्ण हैं जो विवेकशीलता विकसित करने के साथ जीवनोपयोगी ज्ञान, कौशल और मूल्यों के विकास में सहायक हों। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हर विद्यालय में कार्यानुभव और खेलकूद की गतिविधियों का नियमित रूप से आयोजन और उनका मूल्याँकन आवश्यक और महत्वपूर्ण भी है। इस दिशा में आवश्यक दिशानिर्देश के निमित्त शिक्षक संदर्शिका-कार्यानुभव, खेलकूद, नैतिक शिक्षा आदि की समाहित करते हुए प्रकाशित हो चुकी है। विद्यालयों के प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए कार्यानुभव और खेलकूद की गतिविधियों का नियमित आयोजन और उसके मूल्यांकन की विधि और विधा से अवगत कराने की दृष्टि से शिक्षक संदर्शिका का यह दूसरा भाग तैयार किया गया है।

3. कार्यानुभव और खेलकूद की गतिविधियों के निर्धारण में अपेक्षा है कि उनके आवंटन में कक्षाओं के स्तर और अध्यापक की रुचियों का ध्यान रखा जाय। अगले सत्र के कार्यानुभव की गतिविधियों का निर्धारण वर्तमान सत्र में सर्वेक्षण द्वारा किया जाय और वर्तमान सत्र का सर्वेक्षण कार्यानुभव का एक अंग माना जाय। गतिविधियों के आवंटन और क्रियान्वयन के सम्बन्ध में संस्था द्वारा शिक्षण के वार्षिक पंचांग के साथ ही शिक्षणेतर गतिविधियों का पंचांग तैयार करना भी आवश्यक है।

4. इस संदर्शिका की सन्निहित विचारधारा है कि कार्यानुभव एवं खेलकूद की विभिन्न गतिविधियाँ अधिगम प्रक्रिया के अंग के रूप में हों। मुझे विश्वास है कि

हमारी संस्थायें, उनके प्रधान और विद्यालय परिवार के कर्मठ और अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित अध्यापक/अध्यापिकाएं इसे मूर्त रूप प्रदान करेंगे।

5. अन्त में, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगियों को मेरी बधाई, जिनके परिश्रम और सत्प्रयास से कार्यानुभव तथा खेलकूद मूल्यांकन व्यवस्था सम्बन्धी शिक्षक संदर्शिका इस रूप में तैयार हो सकी है।

(जगदीश चन्द्र पन्त)
प्रमुख सचिव, शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ
दिनांक-30 मार्च 1988

दो शब्द

कार्यानुभव, खेलकूद का आयोजन तथा मूल्यांकन संदर्शिका का द्वितीय खंड आपके सम्मुख है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण शिविरों में संदर्शिका की निरंतर मांग के फलस्वरूप तथा वर्ष 1989 के वृहत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। कार्यानुभव वह योजनाबद्ध कार्य प्रणाली है जो विद्यालयी परिवेश को समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से जोड़ती है। साथ ही भावी जीवन की तैयारी के साथ बच्चे के वर्तमान को भी जीवंत बनाती है।

पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत संदर्शिका में कार्यानुभव की कार्य योजना के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के पक्ष को बड़े विस्तार से स्पष्ट किया गया है। आशा है कि यह शिक्षकों के लिए उपयोगी होगी।

संदर्शिका के निर्माण में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रयास सराहनीय है। आशा है बच्चों के सर्वांगीण विकास में यह "सर्वांगीण योजना" शिक्षण-अधिगम को व्यावहारिक बनाने में सहायक होगी।

(प्रवीण चन्द्र शर्मा)
शिक्षा सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

दो शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की भूमिका और प्रक्रिया में सबसे महत्त्वपूर्ण बात है इसकी प्रासंगिकता। इसी दृष्टि से ऐसी शिक्षा पद्धति की संकल्पना की गई है जो आज के 'नन्हें मानव' के वर्तमान को खुशनुमा बनाते हुए, उसे आने वाली सदी की समस्याओं से जूझने में भी समर्थ बनाए। शिक्षा नीति में कहा गया है, "संस्कृति विहीनता, अमानवीयता, और अजनबीकरण (एलियनेशन) के भाव से हर कीमत पर बचना होगा।" स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, वरन् उस विवेक का विकास है, जिससे बच्चा सही अर्थों में मनुष्य बन सके, जीने की कला सीख सके। इसी कला को कार्यानुभव और खेलकूद में परिभाषित किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इसे विद्यालयी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग माना गया है।

वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यह बहुत जरूरी हो गया है कि शिक्षा और अभिव्यक्ति के प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्यानुभव और खेलकूद को व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए। केवल लागू ही न किया जाए वरन् उसका सतत् और व्यापक मूल्यांकन भी किया जाए। इसी दृष्टि से संदर्शिका का यह दूसरा भाग प्रस्तुत किया जा रहा है।

संदर्शिका के प्रणयन में प्रमुख सचिव शिक्षा के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने संदर्शिका की रचना की पहल ही नहीं की वरन् अपनी उपचारी विधि से इसे व्यावहारिक स्वरूप देने में हमारा मार्गदर्शन भी किया। मैं उप सचिव शिक्षा श्री शरदिन्दु का भी आभारी हूँ जिन्होंने इसके सम्पादन में अपना पूरा सहयोग दिया।

इसकी रचना में निदेशक, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के संयोजकत्व में मानविकी और सामाजिक विभाग इलाहाबाद, रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय और राजकीय जुबिली इण्टर कालेज लखनऊ के विशेषज्ञों से सहयोग प्रदान किया, एतदर्थ मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

और अन्त में एक बात—कार्यानुभव और खेल कूद कार्यक्रमों के आयोजन और मूल्यांकन की सारी संकल्पना शिक्षकों के सकारात्मक कदम पर ही निर्भर

करेगी क्योंकि बच्चे को सामाजिक दृष्टि से बेहतर कार्यकर्ता बनाने के लिए स्वयं भी बेहतरी की ओर बढ़ना जरूरी होगा। यह बेहतरी विद्यालयी जीवन में प्रतिबिंबित हो, यही मंगल कामना है।

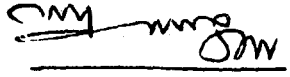

डॉ० (लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०

लखनऊ
दिनांक 3 मार्च 1988

प्राक्कथन

विद्यालय में "कार्यानुभव और खेलकूद आयोजन एवं मूल्यांकन" का द्वितीय संस्करण आपके सम्मुख है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कार्यानुभव को शिक्षा के सभी स्तरों पर एक आवश्यक घटक के रूप में माना गया है।

वर्तमान जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में "कार्यानुभव" का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि श्रम करना ही नहीं वरन् दूसरों की भलाई के लिए श्रम करना, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की पहली शर्त है। प्रस्तुत संदर्शिका में कार्यानुभव के अन्तर्गत श्रम को इसी रूप में केवल परिभाषित ही नहीं किया है वरन् उसकी कार्य योजना एवं मूल्यांकन पक्ष को भी स्पष्ट किया है। आशा है यह कार्य-योजनाएँ विद्यालयी परिवेश की जीवंत बनायेंगी।

गोविन्द बल्लभ पन्त
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,
6, माल एवेन्यू, लखनऊ

विषय वस्तु

(1)	संकल्पना और उद्देश्य	1 - 4
(2)	पाठ्यक्रम	5-12
(3)	मूल्यांकन की विधा	13-21
(4)	कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की कार्य योजना	22-31
(5)	कार्यानुभव तथा खेलकूद की गतिविधियों के मूल्यांकन का नियोजन तथा क्रियान्वयन	32-38
(6)	शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया	39-40

परिशिष्ट

(I)	माध्यमिकस्तर	41-43
(II)	कार्यानुभव तथा खेलकूद का मूल्यांकन (संचयी अभिलेख)	44-47
(III)	कार्यानुभव तथा खेलकूद-समय विभाजन चक्र (बालिका विद्यालय)	48
(IV)	कार्यानुभव तथा खेलकूद-समय विभाजन चक्र (बालक विद्यालय)	49
(V)	कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था से सम्बन्धित संचयी अभिलेख पंजिकाओं के प्रारूप	50-61

1. संकल्पना और उद्देश्य

शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम का गठन किया जाता है और पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा में और कक्षा के बाहर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (Teaching Learning process) का संचालन होता है। दूसरे शब्दों में, अधिगम अनुभव (Learning Experiences) शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन हैं। इन्हीं के फलस्वरूप अधिगम परिणाम (Learning out. comes) की प्राप्ति होती है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण और अधिगम अनुभवों के आयोजन के साथ ही साथ इस बात का पता लगाना भी बहुत आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों की सम्प्राप्ति किस सीमा तक सम्भव हो सकती है। यही मूल्यांकन (Evalution) का मुख्य प्रयोजन है। यदि उद्देश्यों की संप्राप्ति अपेक्षित स्तर की है तो क्रियाओं का चयन ठीक है और यदि स्तर निम्न है तो फिर या तो क्रियाओं के चयन में कोई कमी है अथवा हमारी अपेक्षायें व्यावहारिक नहीं है। इस प्रकार मूल्यांकन व्यवस्था शैक्षिक उद्देश्यों का मात्र अनुसरण ही नहीं करती वरन् उद्देश्यों एवं क्रियाओं में परिवर्तन एवं संशोधन के लिए दिशा भी प्रदान करती है। स्पष्टतः शैक्षिक उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं मूल्यांकन में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के मूल एवं बहु आयामी उद्देश्यों के साथ-साथ शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं :—

(1) स्वस्थ शरीर का विकास, स्वच्छ मन की संरचना, जिससे सभ्य समाज के निर्माण में व्यक्ति सहायक हो सके।

(2) उसके अन्दर आत्मनिर्माण की क्षमता का विकास हो जिससे उसका आत्मविश्वास सुदृढ़ हो। फलतः आत्म निर्भर होने की दिशा में अग्रसर हो सके। उसकी मान्यता हो कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।

(3) व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में शाश्वत नैतिक मूल्यों का समावेश हो तथा परम्परा की सापेक्षता में विवेक की प्रधानता देने की क्षमता विकसित हो।

(4) व्यक्ति में व्यावहारिक शिष्टाचार एवं सज्जनता, दूसरों के प्रति सम्मान तथा समानता की भावना, सहयोग, सहिष्णुता, श्रमशीलता, समता, संयम, साहचर्य एवं सहभागिता की भावनाओं का विकास हो।

(5) राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, मानव मात्र, सभी धर्मों और जातियों के प्रति आदर का भाव, प्रकृति प्रेम, जीवों पर दया, पर्यावरण रक्षा, ललित कलाओं से प्रेम आदि भावनाओं एवं गुणों का भी विकास सम्भव हो सके।

(6) ऐसे नागरिक का निर्माण हो जो एक ओर भारत की समन्वयकारी संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से जुड़ा रहे और दूसरी ओर इक्कीसवीं शताब्दी के भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके अर्थात् शाश्वत मूल्यों और आधुनिक प्रौद्योगिकी में समन्वय स्थापित करना आज की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

कार्यानुभव को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। शिक्षा आयोग (1964–66) में यह कहा गया है "शिक्षा को जीवन और उत्पादिता से सम्बन्धित करने के दूसरे कार्यक्रम के रूप में हम यह सिफारिश करते हैं कि कार्यानुभव की सभी प्रकार की शिक्षा, चाहे वह सामान्य हो या व्यावसायिक, के एक अभिन्न अंग के रूप में शुरू किया जाय।" कार्यानुभव की हमारी परिभाषा यह है : "स्कूल, घर, कारखाने, खेत, फैक्टरी, या अन्य किसी भी उत्पादक स्थिति में उत्पादक काम में भाग लेना।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कार्यानुभव के सम्बन्ध में यह उल्लिखित है कि कार्यानुभव को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग होंगी चाहिए। कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और जिससे समाज को वस्तुयें या सेवायें मिलती हैं। यह अनुभव एक सुसंगठित और क्रमबद्ध कार्यक्रम के द्वारा दिया जाना चाहिए। कार्यानुभव की गतिविधियाँ विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होंगी। शिक्षा के स्तर के साथ ही कुशलताओं और ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती जायेगी। इसके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव आगे चलकर रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा। माध्यमिक स्तर पर दिये जाने वाले पूर्व–व्यावसायिक कार्यक्रमों से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चुनाव में सहायता मिलेगी।

कार्यानुभव में ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक विकास के साथ–साथ किसी विशिष्ट कौशल में कक्षावार वांछित स्तर की सम्प्राप्ति अपेक्षित है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि इन क्रियाकलापों के प्रति विद्यार्थियों में अभिरुचि पैदा करने के लिए उनका समयबद्ध आयोजन हो तथा उनका मूल्यांकन कार्य सतत् रूप से चलता रहे। कार्यानुभव को एक अनिवार्य विषय के रूप में समावेश किये जाने के संदर्भ में, इसके निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं :

(1) छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से श्रम कार्य में भाग लेने के लिए तैयार करना,

(2) छात्रों को श्रम कार्य एवं सेवा कार्य के क्षेत्रों से अवगत कराना तथा श्रमिकों के प्रति उनके मन में आदर एवं सम्मान की भावना का विकास करना,

(3) छात्र/छात्राओं में आत्मनिर्भरता, सहिष्णुता, सहभागिता, श्रमशीलता, समता एवं साहचर्य, अनुशासन एवं सामूहिकता तथा श्रम कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना,

(4) छात्र/छात्राओं में समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने की भावना जाग्रत करना तथा कार्यानुभव के अभ्यासों के लिए अभिप्रेरित करना,

(5) विभिन्न प्रकार के कार्यों में निहित सिद्धान्तों को समझने में सहायता करना,

(6) छात्र/छात्राएं ज्यों ज्यों एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर अग्रसर हों, उनमें उत्पादक कार्यों में भाग लेने की क्षमता को बढ़ाना और इस प्रकार अध्ययन करते हुए अभ्यास कर कुछ कमा सकने के लिए सक्षम बनाना,

(7) छात्र/छात्राओं की सृजनात्मक शक्तियों तथा समस्या-समाधान की योग्यता का विकास करना,

(8) व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित पूर्ण योग्यताओं, क्षमताओं आदि का विकास करना, तथा,

(9) विद्यार्थियों में ऐसे मूल्यों का विकास करना ताकि धोखा देकर लाभ अर्जित करने की गलत एवं त्याज्य माना जाय। यह लाभ निर्मित वस्तुओं की लागत कम रखकर प्राप्त किया जाय।

शिक्षा आयोग में कहा गया है . . . . . यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता कि शारीरिक शिक्षा से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही अच्छा प्रभाव पड़ता है बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक चुस्ती और परिश्रम, दल भावना नेतृत्व, नियम का अनुसरण, विजय और पराजय में श्रमभाव जैसे कुछ उच्च गुणों के विकास में भी सहायता मिलती है। इस आयोग द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि सभी अवस्थाओं के लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार करते समय, सुविधा, समय और शिक्षकों के सीमित होने के कारण, यही नहीं देखना चाहिए कि क्या उपयोगी है, अपितु यह भी देखना चाहिए कि क्या सम्भव है।

खेल और शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कहा गया है कि खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्यसिद्धि के मूल्यांकन में शामिल किया जावेगा। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की राष्ट्र व्यापी अधोरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की

शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जायेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में निम्नांकित गुणों के विकास के उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं:

(1) बच्चों की शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास द्वारा सक्षम एवं स्वस्थ नागरिक बनाना।

(2) राष्ट्र की रक्षा के लिए शारीरिक क्षमता, कठोर श्रम, साहस, सहनशीलता, अनुशासन तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुरण करते हुए उनमें सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अभिरुचि पैदा करना।

(3) विभिन्न प्रकार के पाठ्येतर तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में दक्षता प्राप्त करने हेतु अभ्यास कराते हुए परिस्थिति आकलन की क्षमता का विकास करना।

(4) बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं को विकसित करना, जिससे वे राष्ट्र हित के चिन्तक बन सकें।

(5) मानवीय एवं जीवन मूल्यों की शिक्षा द्वारा परिवार, समाज तथा अपने लिए उन्हें उपयोगी बनाना।

(6) स्वस्थ मनोरंजन की क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करना।

(7) बच्चों में सदाचरण एवं सदगुणों का विकास करते हुए बड़ों के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना।

मूल्यांकन के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग का कहना है कि यह सर्वमान्य है कि मूल्यांकन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। इससे छात्र की आदतों पर तथा अध्यापक की शिक्षण पद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह उल्लिखित है कि विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

मूल्यांकन की इसी संकल्पना की पृष्ठभूमि में विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था प्रतिपादित की गई। इस व्यवस्था में शैक्षिक सत्र के आठ महीनों में मासिक मूल्यांकन तथा चार चरणों में वार्षिक मूल्यांकन की रूप रेखा निर्धारित की गई है।

2. पाठ्यक्रम

कार्यानुभव एवं खेलकूद बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक आवश्यकता है और इसी दृष्टिकोण से विद्यालयों में एक अनिवार्य क्रियाकलाप के अभ्यास के रूप में इनका आयोजन किया जाना है। किस कक्षा अथवा स्तर पर कार्यानुभव तथा खेलकूद के अन्तर्गत कौन से अभ्यास कराये जायें अथवा कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाय इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कक्षावार कार्यक्रमों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है :

कार्यानुभव

1. मिडिल स्तर

कक्षा 6

(1) शरीर तथा कपड़ों की सफाई।
(2) शारीरिक परिवर्तनों के अनुरूप आवश्यक सफाई एवं उचित व्यवहार।
(3) विद्यालय तथा समुदाय में आयोजित स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना।
(4) व्यक्तिगत तथा सामूहिक श्रमदान।
(5) पौष्टिक भोजन का महत्व।
(6) सस्ते पौष्टिक आहार के स्रोत।
(7) पौष्टिकता बनाये रखते हुए भोजन पकाना।
(8) मौसम के अनुसार शाक-सब्जी उगाना।
(9) भोजन का उचित रख-रखाव एवं उनका संरक्षण।
(10) स्थानीय फलों की जानकारी।
(11) उद्यानों का भ्रमण करना।
(12) घर की संपूर्ण सफाई तथा सजावट।
(13) जल, वायु, ध्वनि, प्रदूषण का ज्ञान एवं रोकथाम के उपाय।
(14) काष्ठ तथा धातु से वस्तुओं का निर्माण।
(15) सुतली से खिलौने बनाना।
(16) फूल-पत्ती तैयार करना।

(17) विभिन्न प्रकार के चूल्हों और ईंधन की जानकारी एवं उनका उचित प्रयोग।

(18) विभिन्न प्रकार के वस्त्रों–सूती, ऊनी, रेशमी तथा कृत्रिम धागों के प्रयोग एवं उनकी धुलाई।

(19) सूती कपड़ों पर छपाई, पेंटिंग एवं कढ़ाई।

(20) छोटे मोटे कपड़ों की कटाई, सिलाई तथा मरम्मत।

(21) ऊन की बुनाई।

(22) समस्त पर्वों को मनाने में सहभागिता।

(23) उत्सवों पर उचित एवं शालीन सजावट।

(24) विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं इनमें भाग लेना।

(25) राष्ट्रीय महत्व के उत्सवों का आयोजन।

(26) विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचाव के उपाय।

(27) विद्यालय प्रांगण, पास–पड़ोस में सामूहिक श्रमदान।

(28) जहरीले कीड़े–मकोड़ों के काटने तथा चोट लगने पर घरेलू उपचार।

(29) प्राथमिक चिकित्सा।

(30) सहपाठियों में सद्गुणों की पहचान।

(31) स्थानीय उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों के अनुसार काष्ठ कला, पुस्तक कला, सुतली और बाध बनाना, धातु कला, कताई बुनाई, सिलाई, गृह कला, टेक्सटाइल प्रिंटिंग तथा कागज की लुगदी से खिलौने व फूल बनाना, इनमें से किसी शिल्प का चयन और उनके अभ्यास का आयोजन।

कक्षा 7

(1) शरीर तथा कपड़ों की सफाई।

(2) शारीरिक परिवर्तनों के अनुरूप आवश्यक सफाई एवं उचित व्यवहार।

(3) विद्यालय तथा समुदाय में आयोजित स्वच्छता अभियानों में सक्रिय सहभागिता।

(4) पौष्टिक भोजन के तत्व।

(5) पौष्टिक आहार के स्रोत।

(6) भोजन बनाते समय भोजन की पौष्टिकता बनाये रखना।

(7) मौसम के अनुसार शाक–सब्जी उगाना॥

(8) सस्ते स्थानीय उपलब्ध फलों आदि से जेली, जैम, अचार, आलू के चिप्स, बड़िया, पापड़, पोदीने का अर्क आदि बनाना।

(9) बने और बचे हुए भोजन का उचित रख रखाव एवं उनका संरक्षण।

(10) घर की संपूर्ण सफाई एवं शालीनतापूर्वक सजावट का कार्य।

(11) विभिन्न प्रदूषणों से बचाव के उपाय।

(12) विभिन्न प्रकार के आसन (चटाई), बैग, फाइल कवर बनाना, पत्रिकाओं एवं समाचार-पत्रों के लिए दीवाल पर टांगने वाले थैले बनाना।

(13) रैक्सीन, चमड़े, कैनवेस और टाट से अटैची कवर, बैग, पर्स, बस्ते, टाट पट्टी, पावदान (फुटमैट) बनाना।

(14) सिलाई करना और हथकरघा से कपड़ा बुनना, पुरानी साड़ियों से दरी बनाना।

(15) स्टोव, गैस के चूल्हों का उचित प्रयोग।

(16) विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की जानकारी, सफाई, रंगाई एवं रख रखाव।

(17) सूती कपड़ों पर छपाई, पेन्टिंग और कढाई।

(18) क्रोशिया से थाली के कवर, सोफे के पीछे के भाग का कवर बनाना।

(19) ऊनी मोजा एवं स्वेटर बुनना।

(20) विभिन्न पर्वों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा प्रदर्शनी का आयोजन।

(21) प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा पढ़ने में कमजोर बालकों की सहायता।

(22) पास-पड़ोस के श्रमदान में सहभागिता।

(23) वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण।

(24) योग-आसन का अभ्यास।

(25) घरेलू उपचार।

(26) प्राथमिक चिकित्सा।

(27) आत्म सुरक्षा हेतु विशेष रूप से छात्राओं को जूडो-कराटे आदि का प्रशिक्षण।

(28) स्थानीय उपलब्ध सुविधाओं, ससाधनों और उपयोगिता के अनुसार किसी एक शिल्प का चयन- शमी, कैनवेस एवं कपड़े के विभिन्न प्रकार के बैग, पर्स, फूल के गुलदस्ते, होल्डाल, सिलाई, हथकरघा, काष्ठकला, धातुकला, कताई-बुनाई, गृहकला।

कक्षा 8

(1) विद्यालय तथा पास-पडोस के स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता।

(2) प्राथमिक चिकित्सा—लू लगना, मूर्छित होना, आँख, कान, नाक में कुछ पड़ जाना, जल जाना, कुत्ते का काटना, उल्टी होना।

(3) विभिन्न प्रदूषणों से बचाव।

(4) बढ़ती वय के साथ शारीरिक परिवर्तनों के अनुरूप सफाई, उचित व्यवहार और पारिवारिक जिम्मेदारियों संबंधी साधारण जानकारी।

(5) विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने की विधियां, मरीज का भोजन तथा भोजन का रख-रखाव करना।

(6) जैम, जेली, स्क्वैश, गुलकन्द, पापड़, चिप्स, बड़िया, अचार, मुरब्बा और चटनी बनाना।

(7) घर की संपूर्ण सफाई, सजावट, लिपाई-पुताई, रंगाई आदि।

(8) छोटी-मोटी मरम्मत करना।

(9) दीवारों की सजावट के लिये आकर्षक वस्तुएं बनाना।

(10) समस्त प्रकार के वस्त्रों की जानकारी, सफाई, धुलाई, छपाई, रंगाई, सिलाई आदि।

(11) साधारण प्रयोग के कपड़ों को नाप के अनुसार काटना एवं सिलाई।

(12) विभिन्न पर्वों, उत्सवों, प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।

(13) कठपुतली बनाना एवं उनका प्रदर्शन।

(14) विभिन्न वाद्यों का ज्ञान तथा उपयोग।

(15) लोकनृत्य, लोकगीत आदि का ज्ञान तथा उनमें अभिरुचि उत्पन्न करना।

(16) श्रमदान का आयोजन।

(17) घर, पास-पड़ोस में वृक्षारोपण और पेड़-पौधों की देखभाल।

(18) आग एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की जानकारी तथा आपात्कालीन कार्यों में सहायता।

(19) प्रत्येक बालक द्वारा विकलांगों को सहायता प्रदान करना।

(20) आत्म सुरक्षा हेतु विशेष रूप से छात्राओं को जूडो-कराटे आदि का प्रशिक्षण।

(21) योग अभ्यास।

(22) प्रत्येक बालक/बालिका द्वारा निरक्षर व्यक्ति को साक्षर करना।

(23) स्थानीय उपलब्ध संसाधनों, मांग एवं सुविधाओं और उपयोगिता के अनुसार किसी एक शिल्प का चयन—घड़ी मरम्मत, फोटोग्राफी, बेकरी और कन्फेक्शनरी, होजरी, दरी बनाना, ऊन कताई, मशीन पर ऊन बुनाई, बेत से फर्नीचर तैयार करना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मिडिल स्तर पर साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत देखी हुई घटना या गतिविधि का अपने शब्दों में वर्णन, स्थानीय परिवेश से संबद्ध प्रसंग पर विचार प्रकट करना, स्थानीय या अन्य कंठस्थ लोकगीत, भजन आदि का गायन, कविता की भावानुकूल ढंग से प्रस्तुति, कहानी-कथन, चुटकुले या भ्रमण निरीक्षण से प्राप्त अनुभव सुनाना, संवाद, एकांकी अथवा नाटक में भाग लेना, अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता, भाषण या वाद–विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, विषय–द्वन्द्व में भाग लेना, सामूहिक गान, क्रियात्मक गीत या प्रयाण गीत, स्काउटिंग/गाइडिंग तथा रेडक्रास आदि का आयोजन कराया जा सकता है।

2 माध्यमिक स्तर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किये गये "स्कूल शिक्षा में कार्यानुभव–मार्ग निर्देश" में माध्यमिक स्तर के विषय वस्तु के अन्तर्गत कहा गया है कि इस स्तर पर कार्यवस्तु के दो भाग होंगे बच्चों, उनके परिवारों तथा समाज की रोजमर्रा की आवश्यकता पूर्ति हेतु अनिवार्य क्रियायें तथा उत्पादक कार्य व सेवाओं का वैकल्पिक कार्यक्रम जिसके बार-बार किये जाने पर छात्रों को कुछ मुद्रा अथवा वस्तुओं के रूप में पारिश्रमिक की प्राप्ति हो सके

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जिन उत्पादक कार्यों की सूची को अन्तिम रूप दिया गया है वे निम्नांकित हैं :–

(1) कताई-बुनाई
(2) काष्ठ शिल्प
(3) ग्रन्थ शिल्प
(4) चर्म शिल्प
(5) धातु शिल्प
(6) सिलाई, रफू तथा बखिया
(7) रंगाई तथा छपाई
(8) सिलाई
(9) मूर्ति कला
(10) मत्स्य-पालन
(11) मधुमक्खी-पालन
(12) मुर्गी-पालन
(13) साग-सब्जी का उत्पादन

(14) फल संरक्षण
(15) रेशम तथा टसर का काम
(16) सुतली तथा टाट पट्टी का निर्माण
(17) हाथ से कागज बनाना
(18) फोटोग्राफी
(19) रेडियो मरम्मत
(20) घड़ी मरम्मत
(21) चाक तथा मोमबती बनाना।
(22) कार्लान तथा दरी का निर्माण
(23) फूलों, फलों तथा सब्जियों की पौध तैयार करना
(24) लकड़ी तथा मिट्टी के खिलौनों का निर्माण
(25) बेकरी तथा कन्फेक्शनरी का काम
(26) उपर्युक्त की सुविधा न होने पर कोई स्थानीय प्रचलित कार्य

कार्यानुभव के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर अन्य विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कराया जा सकता है। इनका वर्गीकरण निम्नवत् किया जा सकता है :

(1) स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सौन्दर्य संबंधी कार्य

शरीर तथा कपड़ों की सफाई तथा कपड़ों की धुलाई, कक्षा-कक्षों एवं विद्यालय प्रांगण की सफाई, दीवारों एवं खिड़की दरवाजों की रंगाई तथा साज-सज्जा, जल, वायु आदि का विभिन्न प्रदूषणों से बचाव, आसपास के पेय जल केन्द्रों, नदी, तालाब आदि की सफाई, नाली आदि का निर्माण, वाटिका निर्माण, एवं वृक्षारोपण, केश सज्जा एवं मुख तथा शरीर प्रसाधन आदि।

(2) हस्तकौशल-विकास सम्बन्धी

कताई, बुनाई, टाटपट्टी-निर्माण, चाक, साबुन, स्याही आदि का निर्माण, सूती कपड़े पर छपाई, कपड़ों की रंगाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, ऊनी वस्त्रों की बुनाई, सिलाई, फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत, साड़ियों में फाल लगाना, लकड़ी के विभिन्न कार्य, टूटे फर्नीचर की मरम्मत, बेंत का कार्य, कुर्सियों आदि की बिनाई, बेंत से विभिन्न सामग्रियों का निर्माण, कागज से विभिन्न सामग्रियों का निर्माण, लिफाफे, अभ्यास पुस्तिकायें, पुस्तकों की जिल्दसाजी, सजावट की सामग्री, पुष्प आदि का निर्माण, चमड़े, कैनवस के बैग आदि का निर्माण, बेकरी,

कन्फेक्शनरी, फल संरक्षण, मुरब्बे, अचार, पापड़ आदि बनाना, मानचित्र, चार्ट, अभिनंदन पत्र, मोमबत्ती, मिट्टी के खिलौने, मूर्ति आदि का निर्माण, तथा फोटोग्राफी, घड़ीसाजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फाइबर ग्लास का कार्य, विद्युत का कार्य, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी आदि।

(3) अभिव्यक्ति संबंधी

अन्त्याक्षरी, वृन्दगान, लोकगीत/लोकनृत्य, भाषण, सुभाषित, वाद–विवाद, कवि–दरबार, नाटक, नृत्य नाटिका आदि।

(4) समाज सेवा संबंधी

स्काउटिंग/गाइडिंग, रेडक्रास, प्राथमिक चिकित्सा, समीपस्थ अस्पताल में रोगियों की सेवा का कार्य, यातायात नियंत्रण का कार्य, पेयजल वितरण का कार्य, सड़क निर्माण, भिखारियों का भिक्षावृत्ति से निवारण एवं पुनर्वास, अपंगों की सहायता, प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखा आदि में सहायता कार्य, छोटी कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को शैक्षिक सहायता, अपनी कक्षा के पढ़ाई में कमजोर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक सहायता, डाकघर, बैंक, रेलवे, बस यातायात आदि की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त करके संबंधित कार्य में जनसाधारण की सहायता करना आदि।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल शिक्षा में कार्यानुभव के मार्ग निर्देश में माध्यमिक स्तर की क्रियाओं का वर्गीकरण अनिवार्य क्रियायें तथा वैकल्पिक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है। जानकारी की दृष्टि से इनका उल्लेख परिशिष्ट I में किया गया है।

कार्यानुभव तथा खेलकूद मूल्यांकन व्यवस्था में माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 11 के छात्र/छात्राओं की सक्रिय सहभागिता की संकल्पना की गयी है । अतः विद्यालय में कक्षा 9 के स्तर पर कार्यानुभव के अन्तर्गत जिन अभ्यासों, क्रियाकलापों का आयोजन कराया जाय, उनसे संबंधित आधारभूत जानकारी दी जाय और तद्नुसार अभ्यासों का आयोजन कराया जाय। कक्षा 11 के स्तर पर विशिष्टताओं का ध्यान दिया जाय और गतिविधियों/अभ्यासों का आयोजन भी इसी प्रकार कराया जाय। कक्षा 10 तथा 12 की छात्र/छात्राएं इस अवधि में स्वाध्याय करेंगे अथवा अपने से नीची कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को कार्यानुभव तथा खेलकूद के विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों में भाग लेने में

सहायता देंगे तथा उनका मार्ग दर्शन करेंगे। यह कार्य गतिविधि/कार्यक्रम प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका की अनुमति से उनके सहायक के रूप में कक्षा 10 तथा 12 के छात्र/छात्रायें सम्पन्न करेंगे।

खेलकूद

1. मिडिल स्तर

(1) दौड़ना–50, 100 तथा 200 मीटर
(2) कूदना–लम्बी तथा ऊंची।
(3) फेंकना–रिंग, गेंद तथा गोला।
(4) पी० टी० एवं व्यायाम–पी० टी० टेबुल के अनुसार अभ्यास संख्या 1 से 12 तक लेजिम का अभ्यास।
(5) खेल–कबड्डी, खो–खो, फुटबाल, रस्साकसी, बैडमिण्टन, हॉकी।
(6) आसन–धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानकूर्मासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासना, उत्कटासन, भुजंगासन, पद्मासन, शवासन।

2. माध्यमिक स्तर

(1) दौड़ना–व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा–100, 200, 400 तथा 800 मीटर। सामूहिक प्रतिस्पर्द्धा, झंडी दौड़ तथा बाधा दौड़।
(2) कूदना–लम्बी तथा ऊँची।
(3) फेंकना–क्रिकेट बाल, टेनिस बाल, हैमर, शाट पुट, डिस्कस, जैवलिन।
(4) पी० टी० एवं व्यायाम–सामूहिक पी० टी० एवं व्यायाम।
(5) खेल–कबड्डी, खो–खो, वालीबाल, फुटबाल, रस्साकसी, बास्केट बाल, हॉकी, क्रिकेट, मल्लखम; कुश्ती वा मल्लयुद्ध, तैराकी।
(6) आसन–सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, पश्चिमोत्तान आसन, धनुरासन, पद्मासन, सर्वांग आसन, शवासन।

खेलकूद के अभ्यासों में छात्र/छात्राओं के प्रतिभाग तथा उनके मूल्यांकन की दृष्टि से आवश्यक है कि छात्र/छात्रा की क्षमता, संबन्धित गतिविधि में उसकी सम्प्राप्ति तथा विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं साधन के अनुरूप, कक्षा तथा कठिनाई के स्तर के अनुरूप इसका आयोजन कराया जाय।

3. मूल्यांकन की विधा

कार्यानुभव के अभ्यासों/गतिविधियों का मूल्यांकन

विविध शैक्षिक उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों एवं शिक्षण अधिगम क्रियाओं के अनुरूप कार्यानुभव के अभ्यास के मूल्यांकन में विविधता स्वाभाविक है. किन्तु मूल्यांकन कार्य में विश्वसनीयता, एकरूपता लाने के उद्देश्य से कुछ मूलभूत बातों पर ध्यान देना परम आवश्यक है। कार्यानुभव में ज्ञानात्मक तथा भावात्मक विकास के साथ-साथ किसी विशिष्ट कौशल में वांछित स्तर की सम्प्राप्ति अपेक्षित है। अतः छात्र जिस किसी कार्य को सीखता है, उसकी कार्य शैली कैसी है. उसका उत्पादन स्तर क्या है, सामाजिक सेवा कार्य के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसमें कैसी आदतों का निर्माण हो रहा है, उसकी प्रवृत्तियां एवं रुचियां कैसी हैं आदि विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन में समावेश होनी चाहिए। कार्यानुभव लगभग सत्र भर चलता रहेगा और छात्र धीरे-धीरे अपेक्षित लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इतना अवश्य है कि जिस छात्र/छात्रा को विद्यालय के बाहर घर पर अथवा अन्यत्र अभ्यास करने का अधिक अवसर मिलेगा, उसके सीखने की गति एवं कार्य कुशलता में अभिवृद्धि अधिक होगी।

2. सतत् रूप से चलने वाले इस मूल्यांकन कार्य को अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक छात्र का एक संचयी अभिलेख तैयार किया जाय जिसमे प्रभारी अध्यापक द्वारा उसकी मासिक प्रगति अंकित की जानी चाहिए।

अभिलेख में वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से मासिक अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :—

अभ्यास कार्य	4 अंक	कुल 10 अंक
उपलब्धि	6 अंक	

3. अभ्यास कार्य के अंक (i) छात्र की उपस्थिति (ii) कार्य के प्रति अभिप्रेरणा (iii) समूह में कार्य करते समय अथवा व्यक्तिगत अनुशासन तथा (iv) सहभागिता पर आधारित हो। इसमें से प्रत्येक गुण पर एक एक अंक निर्धारित होगा।

4. उपलब्धि का अभिप्राय उत्पादन कार्य एवं अन्य कार्यों के स्तर से है। उत्पादन कार्य का मूल्यांकन उसकी उत्कृष्टता, मौलिकता तथा छात्र की श्रमशीलता पर आधारित हो। अतः 6 अंकों में से अंकों का विभाजन

निम्नवत् होगाः

(1) उत्पादन अथवा कार्य की उत्कृष्टता 2 अंक

(2) उसकी मौलिकता 2 अंक

(3) श्रमशीलता 2 अंक

5. सत्र में 8 माह–मई, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी–में उक्त प्रकार से मूल्यांकन कर छात्र के प्राप्तांकों की अभिलेख में अंकित किया जाय। इस प्रकार मासिक कार्य पर कुल 80 अंक हैं।

6. विद्यालय के अन्दर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपर्युक्तानुसार वर्ष में 100 में से 80 अंक (10 अंक प्रति माह) के हिसाब से 8 माह हेतु निर्धारित रहेंगे। ये अभ्यास सप्ताह में निर्धारित समय विभाजन चक्र के अनुसार नियमित रूप से विद्यालय तथा कक्षा की सुविधा में आयोजित होंगे। वर्ष के अन्त में विद्यालय के अन्दर छात्रों द्वारा जो कौशल अर्जित किया तथा होगा उसका मूल्यांकन तैयार की गयी सामग्री की वार्षिक प्रदर्शनी के दौरान होगा। यह प्रदर्शनी विद्यालय स्तर पर, विद्यालय संकुल स्तर पर, अन्तर विद्यालय संकुल स्तर पर एवं जनपद स्तर पर आयोजित होगी। इन प्रत्येक स्तर की प्रदर्शनियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी छात्र की कलाकृति को 5 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए 3 अंक, तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए 2 अंक तथा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 1 अंक दिया जायेगा। विद्यालय से चुनी हुई कलाकृतियां ही विद्यालय संकुल स्तर की प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगी। विद्यालय संकुल स्तर की चुनी हुई कलाकृतियां अन्तर विद्यालय संकुल स्तर की प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगी तथा अन्तर विद्यालय संकुल स्तर की चुनी हुई कलाकृतियां ही जनपद स्तर की प्रदर्शनी में सम्मिलित की जायेंगी। इस प्रकार जिस छात्र की कलाकृति विद्यालय में, विद्यालय संकुल में, अन्तर विद्यालय संकुल में तथा जनपद में सर्वप्रथम आंकी जायेगी उसे 20 अंक प्राप्त होंगे।

7. समाज सेवा, स्काउटिंग/गाइडिंग, रेडक्रास और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में प्रत्येक छात्र/छात्रा का मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन विद्यालय परिसर अथवा विद्यालय के बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों/अभ्यासों में किया जायेगा। सुविधानुसार प्रत्येक सप्ताह शनिवार को विद्यालय के बाहर सामुदायिक कार्य का अभ्यास किया जायेगा तथा यह कार्यक्रम/अभ्यास कक्षावार अलग–अलग स्थानोंपर भी आयोजित कराया जा सकता है। वर्ष

में 100 में से 80 अंक(प्रति माह के हिसाब से 8 माह के लिए)मासिक मूल्यांकन के रूप में होगा एवं विभिन्न चरणों में आयोजित होने वाली वार्षिक प्रतियोगिता के लिए 20 अंक निर्धारित रहेंगे। प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर, विद्यालय संकुल स्तर पर, अन्तर विद्यालय संकुल स्तर पर तथा जनपद स्तर पर आयोजित होंगी और इनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 5 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3 अंक, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2 अंक और भाग लेने वाले को 1 अंक दिये जावेंगे।

8. कार्यानुभव के अन्तर्गत जो कार्य विद्यालय के बाहर विभिन्न विभागों के सहयोग से सम्पन्न हों, जैसे सामूहिक श्रमदान, पर्यावरणीय स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि उनका भी अलग से मूल्यांकन उपर्युक्तानुसार किया जाय। यह मूल्यांकन कार्यस्थल पर उपस्थित प्रभारी अध्यापक अथवा अध्यापक समूह अथवा किसी अन्य विभाग के अधिकारी जो कार्य संचालन में निर्देशन प्राप्त करें, उनके द्वारा किया जायगा। इस पर कुल 10 अंक प्रतिमाह निर्धारित होंगे। यह देखा जाएगा कि छात्र की समूह में प्रतिभागिता किस स्तर की है। क्या वह सामूहिक कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेता है, क्या वह कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करता है और उन सुझावों के औचित्य को भली-भाँति स्पष्ट करता है, क्या वह समूह के बहुमत अथवा निर्णय को स्वीकार करता है, क्या वह सौंपे गये कार्य को पूरा करता है, क्या वह दूसरों के कार्य को पूरा कराने में सहायता प्रदान करता है आदि। उपर्युक्त 10 अंकों का विभाजन भी निम्नवत् होगा :-

(1) अभ्यास कार्य	4 अंक	कुल 10 अंक
(2) उपलब्धि	6 अंक	

9. उपर्युक्त मूल्यांकन योजना का सारांश निम्नवत् है :

	विद्यालय के अन्दर	बाहर
(1) मासिक कार्य (8 माह)	80	80
(2) वार्षिक प्रदर्शनी अथवा प्रतियोगिता	20	20
कुल अंक	100	100

10. कार्यानुभव के लिए चूंकि 100 अंक ही निर्धारित हैं इसलिए उपर्युक्त

विद्यालय के अन्दर और बाहर प्राप्तांकों का आधा करके समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में प्राप्त अंकों को निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया जाय : —

60 अथवा 60 से ऊपर	प्रथम श्रेणी
45 से 59 तक	द्वितीय श्रेणी
33 से 44 तक	तृतीय श्रेणी

छात्र की वार्षिक प्रगति आख्या में प्राप्तांकों की सूची में कार्यानुभव के सम्मुख उसकी उपलब्धि एवं प्राप्त श्रेणी को अलग से अंकित किया जाय। इसे छात्र/छात्रा के शैक्षिक परीक्षाफल में प्राप्तांक से जोड़ा नहीं जाएगा।

खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के अभ्यासों/ क्रिया-कलापों का मूल्यांकन

(1) विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों/क्रियाकलापों का मूल्यांकन भी एक निर्धारित पद्धति से किया जाय। खेलकूद के लिए वर्ष भर में 100 अंकों में से मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन किया जाय। खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के मूल्यांकन में निम्नलिखित तीन गुणों का विकास किया जाना अपेक्षित है : —

(1) सतत् प्रयास एवं अभ्यास,

(2) खेल भावना, तथा

(3) कार्यक्रमों में व्यक्तिगत उपलब्धि।

(2) शैक्षिक सत्र के आठ माहों (मई/जुलाई से जनवरी/फरवरी तक) में विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाये और खेलकूद की प्रत्येक गतिविधि के लिये समय विभाजन चक्र निर्धारित किया जाय। इन गति विधियों का समावेश विद्यालय पंचांग में कर लिया जाये।

खेलकूद कार्यक्रमों में निम्नलिखित तीन मुख्य क्रियायें होती हैं :—

(1) दौड़ना

(2) कूदना

(3) फेंकना

इनके अतिरिक्त विद्यालय में चलने वाले अन्य खेलकूद के विषय भी सुविधानुसार सम्मिलित होंगे।

(3) जहाँ तक छात्र/छात्राओं में आवश्यक गुणों के विकसित किये जाने का प्रश्न है, उन्हें तीन मुख्य अंगों में बांटा गया है :

(1) सतत् प्रयास (अभ्यास),

(2) खेलभावना, तथा

(3) उपलब्धि।

उपर्युक्त गुणों के विकास हेतु प्रतिमाह मूल्यांकन के लिए अंकों का विभाजन निम्नलिखित रूप से किया जाय :-

(1) सतत् प्रयास एवं अभ्यास के लिए	2 अंक
(2) खेल भावना के लिए	3 अंक
(3) उपलब्धि के लिए	5 अंक
योग	10 अंक

(4) सतत् प्रयास एवं अभ्यास के अन्तर्गत आवंटित 2 अंकों का विभाजन निम्नवत् किया जाय :-

(1) नियमित उपस्थिति	1 अंक
(2) सहभागिता	1 अंक

(5) खेल भावना के मूल्यांकन के लिए आवंटित 3 अंकों में निम्नलिखित गुणों का मूल्यांकन किया जाय:-

(1) जीत में नम्रता	1 अंक
(2) हार में उत्साह	1 अंक
(3) अनुशासन	1 अंक
योग	3 अंक

(6) उपलब्धि के अन्तर्गत आवंटित 5 अंकों में से प्रतिमाह परीक्षा में भाग लेने तथा प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए 2 अंक दिये जायें, शेष 3 अंकों का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाय :-

प्रथम स्थान	3 अंक
द्वितीय स्थान	2 अंक
तृतीय स्थान	1 अंक

विद्यालय की किसी टीम में सम्मिलत हो जाना और खेलना प्रथम स्थान के बराबर माना जाएगा। हाउस टीम का सदस्य होना व खेलना द्वितीय स्थान के बराबर होगा।

(7) शिक्षा सत्र के आठ माहों में प्रत्येक माह में ली जाने वाली परीक्षा के लिए मूल्यांकन के कुल 10 X 8 = 80 अंक हुए। शेष 20 अंकों के अन्तर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित रूप से किया जाय :

विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता	5 अंक
विद्यालय संकुल स्तरीय प्रतियोगिता	5 अंक
अन्तर विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता	5 अंक
जनपद स्तरीय प्रतियोगिता	5 अंक

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा उनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने के आधार पर अंकों का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाय :

प्रथम स्थान के लिए	5 अंक
द्वितीय स्थान के लिए	3 अंक
तृतीय स्थान के लिए	2 अंक
विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए	1 अंक

इस प्रकार किसी भी छात्र/छात्रा को सभी 4 स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने में अधिकतम 20 अंक प्राप्त होंगे।

(8) खेलकूद के मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन में अंक निम्नवत् प्रदान किये जायें :

(i) प्रत्येक माह में मासिक मूल्यांकन के अधिकतम 10 अंकों का बंटवारा।

(1) अभ्यास (उपस्थिति)	2 अंक (100% उपस्थित होने पर)
(2) खेल भावना	3 अंक (जीत में विनम्रता 1 अंक, हार में उत्साह 1 अंक, अनुशासन 1 अंक)
(3) उपलब्धि	5 अंक (प्रथम 5 अंक, द्वितीय 3 अंक, तृतीय 2 अंक, केवल भाग लेने के लिए 1 अंक)

(ii) मई/जुलाई से जनवरी/फरवरी तक आयोजित कुल 8 मासिक मूल्यांकन $8 \times 10 = 80$ अंक (अधिकतम)

(iii) विद्यालय स्तरीय/विद्यालय संकुल स्तरीय 20 अंक (अधिकतम)
अंतर विद्यालय संकुल स्तरीय/जनपद स्तरीय प्रतियोगिता :

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 5 अंक
द्वितीय स्थान 3 अंक
तृतीय स्थान 2 अंक
केवल भाग लेने के लिए 1 अंक

कुल योग 100 अंक

(iv) खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांकों को निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया जाय :

60 अथवा 60 से ऊपर	प्रथम श्रेणी
45 से 59 तक	द्वितीय श्रेणी
33 से 44 तक	तृतीय श्रेणी

कार्यानुभव तथा खेलकूद मूल्यांकन के अन्य प्रमुख बिन्दु

(1) वार्षिक मूल्यांकन में विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में जो छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे उन्हें 1 (एक) अंक प्रदान किया जायेगा। उन छात्र/छात्राओं को विद्यालय संकुल स्तरीय, अन्तर विद्यालय संकुल स्तरीय तथा जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए एक-एक अंक इस आधार पर दिया जायेगा कि वह नियमित रूप से विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए तथा प्रत्येक मासिक परीक्षा में भी सम्मिलित हुए। इस प्रकार उन्हें कुल 3 अतिरिक्त अंक मिलेंगे और ऐसे छात्र/छात्रा का वार्षिक मूल्यांकन मे कुल 20 अंकों में से 4 प्राप्तांक होगा। इसी भांति यदि कोई छात्र/छात्रा विद्यालय सकुल की प्रतेयोगिता में सम्मिलित होने पर एक अंक प्राप्त करता है, तब उसे अन्तर विद्यालय संकुल तथा जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु 2 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे, यदि सम्बन्धित छात्र/छात्रा संस्था में नियमित अभ्यास करता रहा हो। यही व्यवस्था अन्तर विद्यालय संकुल में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रा के लिए है और उसे एक अतिरिक्त अंक (जनपद स्तरीय

प्रतियोगिता के लिए) देय होगा, यदि छात्र/छात्रा नियमित रूप से विद्यालय में आयोजित अभ्यास तथा मासिक प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हुआ हो।

(2) संस्था के उन कक्षाओं के छात्र/छात्राओं के लिए जिनका प्रतिभाग वार्षिक मूल्यांकन के अन्तर्गत विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के अतिरिक्त विद्यालय संकुल स्तरीय, अन्तर विद्यालय संकुल स्तरीय तथा जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में सम्भव न हो, उन कक्षाओं के छात्र/छात्राओं का विद्यालय संकुल, अन्तर विद्यालय संकुल तथा जनपद स्तरीय मूल्यांकन प्रतियोगिता के समकक्ष संस्था में ही दो माह के अन्तराल पर प्रतियोगितायें आयोजित की जायँ। यह मूल्यांकन 5 अंकों में से किया जाय और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले एवं सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्रा को क्रमशः 5,3,2 तथा 1 अंक दिया जाय। यह मूल्यांकन मासिक मूल्यांकन के अतिरिक्त होगा तथा इन प्रतियोगिताओं में प्राप्त अंकों को वार्षिक मूल्यांकन के स्तम्भों में दर्शाया जाय।

(3) संचयी अभिलेख कार्यानुभव तथा खेलकूद के मूल्यांकन (संचयी अभिलेख) का प्रारूप परिशिष्ट II पर दिया गया है। इस संचयी अभिलेख में प्रमुख रूप से दो भाग किये गये हैं। पहला भाग छात्र से सम्बन्धित सूचनायें विषयक है। दूसरा भाग मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन में छात्र/छात्रा की प्राप्तांक की प्रविष्टि विषयक है।

गृह प्रणाली

गृह प्रणाली कार्यानुभव तथा खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक माध्यमिक तथा जूनियर हाईस्कूल में आवश्यकतानुसार गृह प्रणाली (House System) का शुभारम्भ किया जाय। इस प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालय की छात्र/छात्रा संख्या के आधार पर सभी छात्र/छात्राओं की चार अथवा पाँच गृहों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक का पृथक पृथक नामकरण भी किया जाना उचित होगा, यथा शिवाजी गृह, राणाप्रताप गृह, अभिमन्यु गृह, गुरुनानक गृह आदि, छात्राओं में रानी अहिल्याबाई गृह, मीराबाई गृह, आदि। गृह का विभाजन इस भाँति किया जाये कि संस्था की प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक वर्ग में संस्था में कुल जितने गृह हों सभी का प्रतिनिधित्व हो ताकि प्रत्येक वर्ग में विभिन्न कार्यक्रमों की स्वस्थ अभ्यास प्रतिस्पर्धायें आयोजित हो सकें।

(2) प्रत्येक प्रतिवोगिता में छात्र/छात्राओं की सम्प्राप्ति के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि स्थान प्राप्त करने वाले गृह को अंक दिए जायँ और सत्र के अन्त में जो गृह प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करें, उन्हें पुरस्कृत किया जाये।

(3) गृह प्रणाली के सफल संचालन के लिए वह भी आवश्यक है कि विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक गृह के लिए एक "मानीटर" चयनित किया जाये। इसके नेतृत्व में गृह के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे तथा पूरे वर्ग का एक "सेक्सन मानीटर" चयनित हो जिसका कार्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि वर्ग के प्रत्येक गृह के विद्यार्थी प्रत्येक प्रतियोगिता में सम्मिलत हों। यदि किसी कक्षा में एक से अधिक वर्ग नहीं है, तब उस कक्षा में "सेक्शन मानीटर" के स्थान पर "क्लास मानीटर" चयनित किया जाये। विद्यालय के प्रत्येक गृह का एक "कैप्टन" तथा एक "वाइस कैप्टन" चयनित किया जाय। ये दो छात्र/छात्रा अपने गृह के प्रत्येक कक्षा तथा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने अथवा सम्मिलित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। विद्यालय के स्तर पर आयोजित प्रतिवोगिताओं में "हाउस कैप्टन" ही अपने गृह (हाउस) का नेतृत्व करेंगे। विद्यालय का एक "कालेज कैप्टन" चयनित होगा जो विद्यालय में गृह प्रणाली के संचालन को सुनिश्चित करेगा और विद्यालय संकुल, अन्तर विद्यालय संकुल तथा जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतिवोगिताओं में विद्यालय का नेतृत्व करेगा।

(4) प्रत्येक कक्षा तथा वर्ग में कार्यानुभव तथा खेलकूद के लिए जो कक्षाध्यापक/अध्यापिका उत्तरदायी होंगे, उन्हीं के मार्ग दर्शन में सेक्शन मानीटर/क्लास मानीटर कार्य करेंगे। विद्यालय के प्रत्येक गृह के लिए एक अध्यापक/अध्यापिका को इन्चार्ज बनाया जाय, जिसके निर्देशन में हाऊस कैप्टन/वाइस कैप्टन कार्य करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के निर्देशन में "कालेज कैप्टन" कार्य करेगा।

(5) गृह प्रणाली के अन्तर्गत विद्यार्थी पदाधिकारियों की कार्यविधि यथा संभव 2 माह की रखी जाय ताकि 8 माह की मूल्यांकन अवधि में 4 प्रतिभा-शाली विद्यार्थियों को प्रत्येक पद पर नेतृत्व का अनुभव हो सके। यथा-संभव ये पद पढ़ने, खेलकूद, स्काउटिंग, गाइडिंग एवं सांस्कृतिक गतिवि-धियों में श्रेष्ठ विद्यार्थियों को दिये जायँ।

4 कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की कार्य योजना

संस्था में बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ शिक्षणेतर कार्यक्रमों तथा नित्यप्रति के जीवन में किये जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जाय। इसकी व्यवस्था विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन द्वारा की गई है। इस व्यवस्था में व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6, 7, 8 और 11 में स्थानीय सुविधाओं के अनुसार 5 व्यक्तिगत और 5 सामूहिक (टीम) कार्यक्रमों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय, जिनमें छात्र/छात्राओं का मासिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाय। संस्था के छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन, विशेषकर कक्षा 9 के छात्र/छात्राओं का, निम्नांकित व्यक्तिगत तथा सामूहिक (टीम) कार्यक्रमों/अभ्यासों में किया जाय :—

(अ) व्यक्तिगत
- (1) वाक् प्रतियोगिता
- (2) हस्त कौशल विकास
- (3) दौड़ना—800 मी०
- (4) कूदना—लम्बी कूद
- (5) फेंकना—क्रिकेट की स्टैण्डर्ड गेंद

(आ) सामूहिक (टीम)
- (1) अंत्याक्षरी/सुभाषित/कवि दरबार (8 छात्र/छात्रा)
- (2) वृन्दगान (10 छात्र/छात्रा)
- (3) लोक नृत्य (11 छात्र/छात्रा)
- (4) स्काउटिंग/गाइडिंग (8 छात्र/छात्रा की टोली)
- (5) रेडक्रास (10 छात्र/छात्रा)

उपर्युक्त उल्लिखित विभाजन विभिन्न कार्यक्रमों के क्षेत्र के निर्धारण की दृष्टि से उदाहरण स्वरूप किया गया है ताकि पूरे प्रदेश में कक्षा 9 के स्तर पर मूल्यांकन का समान आधार हो सके।

1 मूल्यांकन की रूप रेखा

(1) कार्यानुभव के अंतर्गत संस्था के प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्काउटिंग/गाइडिंग, रेडक्रास कौशल विकास के अभ्यास तथा सांस्कृतिक/साहित्यिक सम्बन्धी व्यक्तिगत/सामूहिक कार्यक्रमों में अवश्य सम्मिलित होना होगा। विद्यालय के अन्दर एवं बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए मासिक मूल्यांकन प्रतिमाह 10 अंक में किया जाय। इन 10 अंकों का विभाजन निम्नवत् किया जाय :—

(1) अभ्यास कार्य	4 अंक
(2) उपलब्धि	6 अंक
	10 अंक

(2) अभ्यास कार्य के अंक (1) छात्र की उपस्थिति, (2) कार्य के प्रति अभिप्रेरणा, (3) व्यक्तिगत अथवा समूह में कार्य करते समय अनुशासन, (4) सहभागिता पर प्रत्येक के लिए 1—1 अंक निर्धारित है। उपलब्धि के लिए निर्धारित 6 अंक का विभाजन निम्नवत् है :

(1) कार्य तथा उत्पादन की उत्कृष्टता	2 अंक
(2) मौलिकता	2 अंक
(3) श्रमशीलता	2 अंक
	6 अंक

(3) विद्यालय के अन्दर अथवा बाहर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए योग्यतानुसार प्रत्येक माह 10 अंक में मूल्यांकन किया जाय। उपर्युक्त से सम्बन्धित अभ्यास/कार्यक्रम सप्ताह में नियमित रूप से निर्धारित स्थान एवं दिन में विद्यालय एवं कक्षा की सुविधा से आयोजित किया जाय। इसका विवरण पूर्व खण्ड (मूल्यांकन की विधा) में दिया गया है। मई/जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, तथा जनवरी/फरवरी में विभिन्न मासिक प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी, जिनमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यक्रम होंगे। सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक माह की प्रतियोगिता में 5 व्यक्तिगत और 5 सामूहिक (टीम) तथा प्रतियोगिता में से एक अथवा दो प्रतियोगितायें अभ्यास एवं मासिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित कर दी जायँ। इस प्रकार चार चरणों के वार्षिक मूल्यांकन व्यवस्था में दो या तीन प्रतियोगिताएं प्रत्येक में निर्धारित कर दी जायँ।

(4) पूर्व खण्ड में उल्लिखित वार्षिक मूल्यांकन (20 अंक) निम्नांकित 4 चरणों में विभाजित कर दिया जाय और प्रत्येक चरण के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। विभिन्न चरण में विद्यालय की भिन्न-भिन्न संख्या के जनपद में संख्या के छात्र/छात्रा विद्यालय संकुलवार/वर्गवार किस भांति सम्मिलित होंगे, इससे सम्बन्धित तीन जनपदों के उदाहरण टिप्पणी के बाद क्रम (vi) पर उल्लिखित हैं। इस प्रकार वार्षिक मूल्यांकन जनपद के अन्तर्गत ही सम्पन्न होगा। कार्यानुभव तथा खेलकूद का मूल्यांकन (संचयी अभिलेख) प्रारूप परिशिष्ट II पर दिया गया है।

(i) पहला चरण

यह मूल्यांकन विद्यालय स्तरीय मूल्यांकन है, जिसका आयोजन विद्यालय के परिसर में किया जाय। इस स्तर के मूल्यांकन में संस्था के प्रत्येक छात्र/छात्रा का व्यक्तिगत/सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इस स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने और विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को निम्नवत् अंक प्रदान किये जायँ :

प्रथम स्थान	5 अंक
द्वितीय स्थान	3 अंक
तृतीय स्थान	2 अंक
प्रतियेगिता में सम्मिलित होना	1 अंक

इस चरण की प्रतियोगितायें माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होंगी।

(ii) दूसरा चरण

(क) यह प्रतियोगिता कक्षा 9 के लिए विद्यालय संकुल की संकल्पना के आधार पर निर्धारित संदर्भ केन्द्र द्वारा माह सितम्बर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगा। इस स्तर पर एक विद्यालय संकुल/निर्धारित वर्ग की सभी संस्थायें सम्मिलित होंगी। प्रत्येक संस्था से प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में कक्षा 9 के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा एवं प्रत्येक विद्यालय की कक्षा 9 की प्रत्येक

सामूहिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम द्वितीय चरण के मूल्यांकन की प्रतियोगिता में सम्मिलित होगी। प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या 30 होगी तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में अधिकतम 10 टीमें सम्मिलित होंगी। इस स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व विद्यालय संकुल/संदर्भ केन्द्र का होगा। इस स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अंक प्रदान करने की वही व्यवस्था रहेगी जो विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता के लिए निर्धारित है, किन्तु सामूहिक (टीम) कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान संस्था विशेष की टीम प्राप्त करेगी, जिससे सदस्यता के आधार पर छात्र/छात्राओं को अंक प्रदान किये जायेंगे।

(ख) कक्षा 9 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के छात्र/छात्रा का इस (दूसरे) चरण का मूल्यांकन संस्था में ही दो माह के अन्तराल पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर किया जावे। यह मूल्यांकन 5 अंकों में से किया जाय और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा एवं सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रा को क्रमशः 5, 3, 2 तथा 1 अंक दिया जाय। यह मूल्यांकन मासिक मूल्यांकन के अतिरिक्त होगा।

(iii) तीसरा चरण

(क) इस चरण की प्रतियोगिता माह सितम्बर के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जायेगी। जनपद के समस्त संस्थाओं को भौगोलिक स्थिति के अनुसार विद्यालय संकुलवार/निर्धारित वर्ग के अनुसार दो खंडों (खंड एक तथा खंड दो) में व्यक्तिगत तथा सामूहिक (टीम) प्रतियोगितायें होंगी। दूसरे चरण में आयोजित व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में संकुलवार/वर्गवार कक्षा 9 के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा इस तीसरे चरण की प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। सामूहिक (टीम) प्रतेयोगिता में संस्था विशेष की टीम सम्मिलित होगी। सामान्य रूप से इस स्तर पर प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को संख्या 30 होगी तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिताओं में 10 टीमें होंगी, किन्तु किसी जनपद के ऐसे खंड जहाँ पर निर्धारित 10

विद्यालयों के 10 से अधिक संकुल तथा 11 संकुल हों, वहाँ प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्र/छात्रा की संख्या 33 होगी तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में 11 टीमें सम्मिलित होंगी। इस स्तर की प्रतियोगिता में भी अंक प्रदान करने की वही व्यवस्था रखी जायेगी जैसी कि विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित है।

(ख) कक्षा 9 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के छात्र/छात्रा का इस (तीसरे) चरण का मूल्यांकन संस्था में ही दो माह के अंतराल पर प्रतियोगितायें आयोजित कर किया जाय। यह मूल्यांकन 5 अंकों में किया जाय और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा एवं सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रा को क्रमशः 5, 3, 2 तथा 1 अंक दिया जाय। यह मूल्यांकन मासिक मूल्यांकन के अतिरिक्त होगा।

(iv) चौथा चरण :

(क) इस चरण की प्रतियोगितायें जनपद स्तरीय प्रतियोगितायें होंगी जो माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जिला स्तरीय रैली (शीतकालीन प्रतियोगिता भाग 2) के साथ आयोजित होंगी। तीसरे चरण के खंड (खंड एक तथा खंड दो) के प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता की संस्था विशेष की विजेता टीम सम्मिलित होंगी। इस स्तर की प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या 6 होगी तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में 2 टीमें सम्मिलित होंगी। इस स्तर की प्रतियोगिता में भी मूल्यांकन हेतु अंक प्रदान किये जाने की व्यवस्था विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के अनुसार ही की जायगी।

(ख) कक्षा 9 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के छात्र/छात्रा का इस (चौथे) चरण का मूल्यांकन संस्था में ही दो माह के अंतराल पर प्रतियोगितायें आयोजित कर किया जाय। यह मूल्यांकन 5 अंकों में से किया जाय और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले एवं भाग लेने वाले छात्र/छात्रा की क्रमशः 5, 3, 2 तथा 1 अंक दिया जाय। यह मूल्यांकन मासिक मूल्यांकन के अतिरिक्त होगा।

(v) टिप्पणी

पहले चरण की प्रतियोगिता में कक्षा 9 के जो छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे उन्हें एक अंक प्रदान किया जायेगा। उन छात्रों की शेष 3 चरणों की प्रतियोगिताओं के लिए एक एक अंक इस आधार पर दिया जायेगा कि वह नियमित रूप से विद्यालय में आयोजित होंने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए तथा प्रत्येक मासिक परीक्षा में भी सम्मिलित हुए। इस प्रकार उन्हें कुल 3 अतिरिक्त अंक मिलेंगे और ऐसे छात्र/छात्रा की वार्षिक मूल्यांकन में कुल 20 अंकों में 4 प्राप्तांक होगा। इसी भाँति यदि कोई छात्र/छात्रा द्वितीय चरण की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने पर एक अंक प्राप्त करता है, तब उसे तीसरे तथा चौथे चरण की प्रतियोगिताओं हेतु 2 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे, यदि सम्बन्धित छात्र/छात्रा संस्था में नियमित अभ्यास करता रहा हो। यही व्यवस्था तीसरे चरण में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रा के लिए है और उसे एक अतिरिक्त अंक (चौथे चरण की प्रतियोगिता के लिए) देय होगा, यदि छात्र/छात्रा नियमित रूप से विद्यालय में आयोजित अभ्यास तथा मासिक प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हुआ हो।

(vi) उदाहरण

पीलीभीत जनपद में कुल 26 हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज हैं। इस जनपद में 2 अथवा 3 विद्यालय संकुल/संदर्भ केन्द्र होंगे। इस जनपद में विभिन्न चरणों में प्रतियोगितायें निम्नवत् आयोजित करायी जायें :

पहला चरण- (संस्था स्तर)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (प्रत्येक विद्यालय में अलग-अलग)
दूसरा चरण- (दो/तीन विद्यालयों के वर्ग में)	1,2 (1) 3,4 (2) 5,6,7 (3) 8,9,10 (4) 11,12,13 (5) 14,15 (6) 16,17 (7) 18,19,20 (8) 21,22,23 (9) 24,25,26 (10)
तीसरा चरण- (खंड एक तथा खंड दो में)	खंड एक-दूसरे चरण के वर्ग (1) से (5) तक खंड दो -दूसरे चरण के वर्ग (6) से (10) तक

चौथा चरण —— तीसरे चरण का खंड एक तथा खंड दो के मध्य।
(जनपद स्तर)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि पहले चरण की प्रतियोगितायें संस्था स्तर पर होंगी जिनमें कक्षा 9 के सभी छात्र/छात्रायें सम्मिलित होंगे। दूसरे चरण की प्रतियोगितायें दो/तीन संस्थाओं को वर्गीकृत करके आयोजित की जायेंगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा सहित 30 छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में दो/तीन विद्यालय विशेष की टीमें सम्मिलित होंगी। तीसरे चरण की प्रतियोगिता खंडवार (खंड एक तथा खंड दो) आयोजित होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में दूसरे चरण में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा सहित 30 छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में पाँच टीमें विद्यालय विशेष की सम्मिलित होंगी। चौथे चरण की प्रतियोगिता जनपद स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में तीसरे चरण में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा कुल 6 छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में दो टीमें विद्यालय विशेष की सम्मिलित होंगी।

2. बदायूं जनपद में कुल 52 हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज हैं। इस जनपद में मोटे तौर पर 10 अथवा 11 विद्यालयों के 5 विद्यालय संकुल/संदर्भ केन्द्र होंगे। इस जनपद में विभिन्न चरणों में प्रतियोगितायें निम्नवत् आयोजित करायी जायँ :

पहला चरण——	1 से 52 तक
(संस्था स्तर)	(प्रत्येक विद्यालय में अलग-अलग)
दूसरा चरण——	क्रम 1 से 5 तक, वर्ग (1)
(पांच/छः विद्यालयों के वर्ग में)	क्रम 6 से 10 तक, वर्ग (2)
	क्रम 11 से 15 तक, वर्ग (3)
	क्रम 16 से 20 तक, वर्ग (4)
	क्रम 21 से 26 तक, वर्ग (5)
	क्रम 27 से 31 तक, वर्ग (6)
	क्रम 32 से 36 तक, वर्ग (7)
	क्रम 37 से 41 तक, वर्ग (8)
	क्रम 42 से 46 तक, वर्ग (9)
	क्रम 47 से 52 तक, वर्ग (10)

तीसरा चरण —	खंड एक–दूसरे चरण के वर्ग (1) से
(खंड एक तथा खंड दो में)	(5) तक
	खंड दो–दूसरे चरण के वर्ग (6) से
	(10) तक
चौथा चरण —	तीसरे चरण का खंड एक तथा खंड
(जनपद स्तर)	दो के मध्य।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि पहले चरण की प्रतियोगितायें संस्था स्तर पर होंगी, जिसमें कक्षा 9 के सभी छात्र/छात्रायें व्यक्तिगत/सामूहिक (टीम) प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होंगे। दूसरे चरण की प्रतियोगितायें पांच/छः संस्थाओं को वर्गीकृत करके आयोजित की जायेंगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा सहित 30 छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में पाँच/छः टीमें विद्यालय विशेष की सम्मिलित होंगी। तीसरे चरण की प्रतियोगिता खंडवार (खंड एक तथा खंड दो) आयोजित होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में दूसरे चरण में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा सहित 30 छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में पांच टीमें विद्यालय विशेष की सम्मिलित होंगी। चौथे चरण की प्रतियोगिता जनपद स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में तीसरे चरण में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा, कुल 6 छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीमें) प्रतियोगिता में दो टीमें विद्यालय विशेष की सम्मिलित होंगी।

3. इलाहाबाद जनपद में कुल 216 हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज हैं। इस जनपद में मोटे तौर पर 10 या 11 विद्यालयों के 21 विद्यालय संकुल/संदर्भ केन्द्र होंगे। इस जनपद में विभिन्न चरणों में प्रतियोगिताएं निम्नवत आयोजित करायी जायं :—

पहला चरण —	1 से 216 तक
(संस्था स्तर)	(प्रत्येक विद्यालय में अलग-अलग)
दूसरा चरण —	विद्यालय संकुल/संदर्भ केन्द्र
(संकुल/संदर्भ केन्द्र	(प्रत्येक विद्यालय संकुल/संदर्भ केन्द्र के स्तर पर
स्तर)	उक्त संकुल के समस्त विद्यालयों का)

तीसरा चरण —— खंड एक विद्यालय संकुल क्रम 1 से 10 तक
(खंड एक तथा खंड
दो में) खंड दो विद्यालय संकुल क्रम 11 से 21 तक
चौथा चरण —— तीसरे चरण के खंड एक तथा खंड दो के मध्य।
(जनपद स्तर)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि पहले चरण की प्रतियोगिता संस्था स्तर पर होगी, जिसमें कक्षा 9 के सभी छात्र/छात्रायें व्यक्तिगत/सामूहिक (टीम) प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होंगे। दूसरे चरण की प्रतियोगितायें विद्यालय संकुल/संदर्भ केन्द्र स्तर पर आयोजित होंगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कुल 30 छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें विद्यालय विशेष की सम्मिलित होंगी। तीसरे चरण में प्रतियोगितायें खंडवार (खंड एक तथा खंड दो) आयोजित होंगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में दूसरे चरण में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यालय संकुल/संदर्भ केन्द्र से विद्यालय विशेष की एक टीम सम्मिलित होगी (एक खंड में 10 विद्यालय संकुल होने पर 10 टीमें, 11 विद्यालय संकुल होने पर 11 टीमें तथा इसी भांति संख्यानुसार)। चौथे चरण की प्रतियोगिता जनपद स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतियोगिता में तीसरे चरण में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा कुल 6 छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक सामूहिक (टीम) प्रतियोगिता में दो टीमें विद्यालय विशेष की सम्मिलित होंगी।

विद्यालय मूल्यांकन संबन्धी प्रतियोगितायें

सुब्रतो फुटबाल एवं जूनियर हॉकी की प्रतियोगितायें राष्ट्रीय स्तर तक पूर्ववत् आयोजित होंगी जिसमें एक संस्था विशेष की टीम भाग लेती है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित 4 प्रतियोगिताओं के आयोजन की व्यवस्था की जाय :—

(1) कबड्डी (12 छात्र/छात्रा)
(2) खो-खो (12 छात्र/छात्रा)
(3) वालीबाल (10 छात्र/छात्रा)
(4) कुश्ती (42 केजी०, 45 केजी० तथा 48 केजी० वजन के, प्रत्येक में 2 छात्र तथा कुल 6 छात्र)/टेनीक्वाइट -रिंग (6 छात्र/छात्रा)

इन चार खेलों की प्रतियोगितायें निम्नांकित स्तरों पर आयोजित की जायें :

(1) तहसील स्तर— (सामान्य रूप से तहसील स्तरीय प्रतियोगिता माह जुलाई के प्रथम पखवारे में आयोजित कर ली जाय) (यदि आवश्यक हो)

(2) जनपद स्तर— (सामान्य रूप से जनपदीय प्रतियोगिता माह जुलाई के द्वितीय पखवारे में आयोजित कर ली जाय)

(3) मण्डल स्तर— (सामान्य रूप से मण्डलीय प्रतियोगिता माह अगस्त के प्रथम पखवारे में आयोजित कर ली जाय)

(4) राज्य स्तर— (सामान्य रूप से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता माह सित० के प्रथम पखवारे में आयोजित कर ली जाय)

संस्था के छात्र/छात्रा को उपर्युक्त उल्लिखित प्रतियोगिताओं में से संस्था की टीम में सम्मिलित होकर खेलना मासिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के बराबर माना जायेगा।

5. कार्यानुभव तथा खेलकूद की गतिविधियों के मूल्यांकन का नियोजन तथा क्रियान्वयन

विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद की गतिविधियों/अभ्यासों/क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन तथा उनके मूल्यांकन में शिक्षक की अहम भूमिका है। शिक्षक ही वह स्रोत है जिसके निर्देशन में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन सम्भव हो सकेगा। यह दायित्व संस्था के किसी एक अध्यापक विशेष का नहीं है वरन् संस्था के प्रत्येक सदस्य अध्यापक का है। मूल्यांकन व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी शिक्षकों को संस्था के प्रधान के नेतृत्व में कार्यानुभव तथा खेलकूद का निम्नवत् नियोजन तथा क्रियान्वयन करना है:

1. गृह प्रणाली का संचालन :

कार्यानुभव तथा खेलकूद की गतिविधियों के संचालन के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक संस्था में गृह प्रणाली (हाउस सिस्टम) का शुभारम्भ किया जाय। इसके अन्तर्गत विद्यालय के छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर सभी छात्र/छात्राओं को पाँच अथवा छः गृहों में सुविधानुसार विभक्त किया जाय। प्रत्येक गृह का प्रथक नामकरण किया जाय तथा छात्रों के शिवाजी गृह, अभिमन्यु गृह, गुरुनानक गृह, नेहरू गृह आदि। इसी भाँति छात्राओं के रानी लक्ष्मी बाई गृह, मीराबाई गृह, सरोजनी नायडू गृह, इन्दिरा गृह आदि। छात्र/छात्राओं का विभाजन इस भाँति किया जाय कि संस्था के प्रत्येक कक्षा एवं वर्ग का प्रत्येक गृह में प्रतिनिधित्व हो। गृह प्रणाली के संचालन के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक गृह के लिए एक मानीटर चयनित किया जाय। कक्षा के प्रत्येक वर्ग का एक सेक्शन मानीटर चयनित हो। यदि कक्षा में एक से अधिक वर्ग न हो तो उस कक्षा में सेक्शन मानीटर के स्थान पर कक्षा मानीटर चयनित किया जाय। विद्यालय में प्रत्येक गृह में एक "कैप्टन" और एक "वाइस कैप्टन"चयनित हो तथा विद्यालय का एक "कालेज कैप्टन" भी चयनित किया जाय। मानीटर, सेक्शन मानीटर/कक्षा मानीटर, गृह कैप्टन/कालेज कैप्टन का यह दायित्व होगा कि जिसका वह प्रतिनिधित्व करें उसके सभी छात्र/छात्रायें संस्था में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद के किसी न किसी क्रियाकलाप में अवश्य सम्मिलित हों तथा उसकी प्रतिस्पर्धाओं में भी भाग लें। कालेज कैप्टन गृह प्रणाली के संचालन को सुनिश्चित करायेगा और विद्यालय संकुल स्तर तथा अन्य

स्तरों पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में विद्यालय का नेतृत्व करेगा।

2. विद्यार्थी पदाधिकारियों का चयन/नामांकन :

सेक्शन मानीटर/कक्षा मानीटर/गृह कैप्टन/कालेज वाइस कैप्टन तथा कालेज कैप्टन के चयन/नामांकन का कार्य इस भाँति सुनिश्चित कराया जाय कि इन पर ऐसे छात्र/छात्रायें आयें जो संस्था में आयोजित होने वाली गतिविधियों में विशेष रुचि रखते हों अथवा उस क्षेत्र में उनका विशेष स्थान हो और साथ ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता भी हो। यह कार्यवाही यथा संभव नये शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होते ही अर्थात 1 मई से 20 मई तक अथवा ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ होने के पूर्व संस्था में कर ली जाय। विद्यार्थी पदाधिकारियों की कार्यविधि यथासम्भव 2 माह की रखी जाय।

3. संचयी अभिलेख का मुद्रण :

संस्था में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद के कार्यों के मूल्यांकन हेतु संचयी अभिलेख का निर्धारित प्रारूप पर दिये गये माप (17"X 27") आकार में 8.9 के० जी० भार के सफेद कागज पर मुद्रण कराया जाय। इस प्रकार संचयी अभिलेख दो पेज में 4 पृष्ठों पर 6.5" X 8.5" के माप में होगा। संचयी अभिलेख की छपाई कक्षा 6, 7 तथा 8 के लिए लाल रंग, 9, 10 कक्षा के लिए मैरुन रंग तथा कक्षा 11,12 के लिए नीले रंग की स्याही में करायी जाय। संस्था में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा का पृथक-पृथक संचयी अभिलेख होगा अर्थात् वांछित संख्या में संचयी अभिलेखों का मुद्रण अनुमानित छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर शैक्षिक सत्र आरम्भ होने के पूर्व ही करा लिया जाय।

4. विद्यालय में आयोजित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण :

प्रत्येक कक्षा के लिए कार्यानुभव के अन्तर्गत कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन कराया जाना है इसका सर्वेक्षण कराया जाय। आगामी शैक्षिक सत्र में कार्यानुभव के अन्तर्गत जिन गतिविधियों का निर्धारण किया जाय, उसका सर्वेक्षण वर्तमान शैक्षिक सत्र में करा लिया जाय और यह सर्वेक्षण वर्तमान शैक्षिक सत्र में आयोजित होने वाले कार्यानुभव का एक अंग होगा। इसी भाँति खेलकूद के कौन-कौन से कार्यक्रम कराये जायेंगे, इसका भी निर्धारण कक्षावार तथा स्तरवार शैक्षिक

सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व ही किया जाना उपयुक्त होगा। दूसरे शब्दों में, "विद्यालय पंचांग" में संस्था में आयोजित कराये जाने वाले एवं शिक्षणेतर क्रियाकलापों का भी उल्लेख किया जाय तथा विद्यालय पंचांग यथासंभव माह मई में तैयार कर लिया जाय।

5. विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का आवंटन :

संस्था के प्रत्येक अध्यापक की कार्यानुभव तथा खेलकूद के किसी न किसी क्रियाकलाप/गतिविधि से सम्बद्ध होना होगा। अतः माह मई में ही यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्था के कौन से अध्यापक संस्था में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद के कौन से कार्यक्रम/गतिविधि से सम्बद्ध होंगे। यह आवंटन अध्यापक की अभिरुचि एवं उनके सुझाव से किया जाय। इसी के साथ गृह प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप प्रत्येक गृह का एक प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका तथा कक्षा प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका का भी आवंटन/नामांकन संस्था के अध्यापक/अध्यापिकायें स्वयं विचार विमर्श करके निश्चित करें।

6. विद्यालय की समय सारिणी का लचीलापन :

विद्यालय में शिक्षण कार्य की निर्धारित समय सारिणी में कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों को किस समय आयोजित किया जाय, इसका निर्धारण संस्था के प्रधान द्वारा उपलब्ध सुविधाओं तथा संस्था के अध्यापक/अध्यापिकाओं के परामर्श से किया जाना है। इस हेतु समय प्रातः काल प्रार्थना के तत्काल बाद अथवा मध्याह्न प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके बाद अथवा अंतिम वादन की पढ़ाई समाप्त होने के बाद निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक संस्था में भिन्न भिन्न समय पर यह कार्यक्रम आयोजित कराये जा सकते हैं। जिन संस्थाओं में द्विपाली योजना लागू है उन संस्थाओं में प्रथम तथा द्वितीय अथवा प्रातः कालीन तथा मध्याह्न दोनों पालियों में छात्र/छात्राओं के लिए कार्यानुभव और खेलकूद के अभ्यास एवं मूल्यांकन हेतु सुविधानुसार समय निर्धारित करना होगा। स्पष्टतः विद्यालय की समयसारणी का लचीलापन होना आवश्यक है।

7. कार्यानुभव तथा खेलकूद का समय विभाजन चक्र :

विद्यालय की शिक्षण सम्बंधी समयसारणी के कार्यानुभव तथा खेलकूद के लिए कालांश निर्धारित करने के उपरान्त इसका समय विभाजन-चक्र पृथक से

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....4835....
Date....14/8/89

तैयार किया जाय। इस विभाजन चक्र की तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाय कि संस्था के छात्र/छात्राओं की जितने गृहों में विभक्त किया गया है उन सभी गृहों के लिए कार्यानुभव वाह्य एवं आन्तरिक और खेलकूद में व्यक्तिगत तथा सामूहिक (टीम) के किसी न किसी क्रियाकलाप में संस्था के प्रत्येक छात्र/छात्रा अवश्य सम्मिलित हो सकें। समय विभाजन चक्र प्रत्येक सप्ताह अथवा प्रत्येक माह "रोटेट" किया जाय ताकि संस्था के प्रत्येक छात्र/छात्रा को कार्यानुभव तथा खेलकूद के अन्तर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों/अभ्यासों में भाग लेने का अवसर मिल सके।

सुगमता के लिए एक बालिका विद्यालय तथा एक बालक विद्यालय का कार्यानुभव तथा खेलकूद समय विभाजन चक्र परिशिष्ट III तथा IV पर दिया गया है। इस समय विभाजन चक्र का निर्माण इस प्रकार से किया जायेगा कि कक्षा 10 एवं 12 के अतिरिक्त विद्यालय के अन्य समस्त कक्षाओं के छात्र/–छात्राएँ उसी एक निर्धारित वादन में एक साथ किसी न किसी गतिविधि में संलग्न रहें। कार्यानुभव एवं खेलकूद कार्यक्रम खेल, सामूहिक व्यायाम, अभिरुचि संबंधी कार्य, समाजसेवा, कार्यानुभव वाह्य एवं कार्यानुभव आन्तरिक (हस्त कौशल) के अन्तर्गत सम्पन्न कराये जा सकते है। इनमें से एक दिन में प्रत्येक गृह अलग अलग कार्य करेगा। उदाहरण के लिए सोमवार के दिन गृह (एक) यदि खेल में संलग्न है तो गृह 2 (दो) द्वारा कार्यानुभव (वाह्य) किया जायेगा एवं गृह 3 (तीन) द्वारा समाजसेवा संबंधी कार्य किया जायेगा। अगले दिन गृहों की गतिविधियाँ पुनः परिवर्तित हो जायें। इस प्रकार प्रत्येक गृह सप्ताह के 6 दिनों में पृथक-पृथक कार्य करेगा। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना है कि किसी निश्चित दिन के लिए निर्धारित कार्य का अभ्यास पूरा गृह एक साथ न करके, कठिनाई एवं वय के स्तर के अनुरूप पृथक-पृथक करें। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि प्रत्येक गृह में प्रत्येक कक्षा के छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे। अतः यदि गृह 1 (एक) किसी दिन खेल के अर्न्तगत दौड़ में संलग्न है तो कक्षा 6, 7 के छात्र 100 मीटर की दौड़, कक्षा 8 के छात्र 200 मीटर की दौड़, कक्षा 9 के छात्र 400 मीटर की दौड़ एवं कक्षा 11 के छात्र 800 मीटर की दौड़ में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार अभिव्यक्ति संबंधी गतिविधियों में यदि एक गृह किसी दिन संलग्न है तो कक्षा 6 के छात्र अन्त्याक्षरी में, कक्षा 7 के छात्र वृन्दगान में, कक्षा 8 के छात्र लोकगीत में, कक्षा 9 के छात्र सम्भाषण में तथा कक्षा 11 के छात्र कवि दरबार में भाग ले सकते हैं। किन्तु यह विभाजन कक्षावार ही नहीं होगा, छात्र के स्वास्थ्य एवं रुचि के अनुरूप भी विभाजन किया जाना समीचीन होगा। केवल सामूहिक

व्यायाम का आयोजन पूरे गृह का एक साथ किया जाय। शेष समस्त गतिविधियों में प्रत्येक गृह को छोटी छोटी इकाइयों (यूनिट्स) में बांटा जाय ताकि अभ्यास के आयोजन एवं मूल्यांकन करने में सुविधा रहे। गतिविधियों के नियोजन में सामयिकता का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए समाज सेवा संबंधी कार्यों में, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं में सहायता कार्य आवश्यकतानुसार जुलाई माह में किया जायेगा, पेय जल वितरण का कार्य माह मई, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर में कराया जाय।

8. अभिलेखों का रख-रखाव :

विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रम में मूल्यांकन व्यवस्था को लागू किये जाने पर संस्था के प्रत्येक छात्र/छात्रा से संबंधित सूचनाओं तथा उनकी उपलब्धियों के अभिलेख हेतु निम्नांकित पंजिकायें रखीं जायँ :

1. गृह (हाउस) संचयी अभिलेख पंजिका
2. कक्षा संचयी अभिलेख पंजिका
3. कार्यक्रम उपस्थिति पंजिका
4. अंक पत्र

गृह (हाउस) संचयी अभिलेख पंजिका गृह इंचार्ज अध्यापक/अध्यापिका के पास रहेगी जिसमें संबंधित गृह के प्रत्येक छात्र/छात्रा से संबंधित सूचनायें तथा उनके मासिक तथा वार्षिक प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जाय। कक्षा संचयी अभिलेख पंजिका कक्षा इंचार्ज अध्यापक/अध्यापिका द्वारा तैयार की जाय तथा प्रविष्टियाँ भी उन्हीं के द्वारा की जायें। कार्यक्रम उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्रा की उपस्थिति संबंधित कार्यक्रम/गति– विधियों के अध्यापक/अध्यापिका द्वारा रखी जाय और उसमें छात्र/छात्रा की उपस्थिति तिथिवार अंकित की जाय। प्रत्येक कार्यक्रम/गति–विधि के अध्यापक/अध्यापिका द्वारा अंक पत्र मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन का पृथक-पृथक दो प्रतियों में तैयार किया जाय, जिसकी एक प्रति कक्षा इंचार्ज अध्याप–क/अध्यापिका को तथा दूसरी प्रति गृह इंचार्ज अध्यापक/अध्यापिका को नियमित रूप से दी जाय। उपर्युक्त लिखित अभिलेख किस प्रारूप में रक्खे जायेंगे, इसका उल्लेख परिशिष्ट V में किया गया है।

9. संचयी अभिलेख की प्रविष्टि तथा अभिभावक को सूचित करना :

छात्र/छात्रा के मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन से संबन्धित प्रविष्टियाँ इंचार्ज कक्षा अध्यापक/अध्यापिका द्वारा संचयी अभिलेख में निर्धारित माह के सम्मुख की जाय। संचयी अभिलेखों को आगामी माह की 8 तारीख तक प्रधानाचार्य के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय और संस्था के प्रधान द्वारा सभी छात्र/छात्राओं के संचयी अभिलेख 9 तारीख तक कक्षा इंचार्ज अध्यापक को इस आशय से उपलब्ध करा दिये जायँ कि वे उसी दिन संचयी अभिलेख प्रपत्र को छात्र/छात्राओं को वितरित कर दें। छात्र/छात्रा संचयी अभिलेख को अपने घर ले जाकर अपने पिता/माता/अभिभावकों से निर्धारित स्तम्भ में हस्ताक्षर करवा कर आगामी कार्य दिवस में उसे कक्षा इंचार्ज अध्यापक को उपलब्ध करा दें।

कार्यानुभव तथा खेलकूद की गतिविधियों/अभ्यासों का 8 माह को मासिक तथा चार चरणों के वार्षिक मूल्यांकन में आयोजित कराया जाना है। प्रत्येक की उपलब्धि की सूचना छात्र/छात्रा के संचयी अभिलेख में अंकित कर उसके अभिभावक को अवगत कराया जाय।

10. विद्यालय संकुल निर्धारण :

वार्षिक मूल्यांकन की संकल्पना चार चरणों में की गई है। इसके लिए विद्यालय संकुल का गठन भी आवश्यक है। संस्था के प्रधान जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर लें कि उनकी संस्था किस विद्यालय संकुल में है, तथा उस संकुल का प्रधान विद्यालय कौन सा है। संकुल के प्रधान विद्यालय के शिक्षकों का दायित्व विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है।

11. विद्यार्थी विकास समिति :

कार्यानुभव तथा खेलकूद के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को सही दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से विद्यार्थी विकास समिति के गठन का शासनादेश मार्च 1987 में निर्गत हो चुका है। इसमें विकास खंड विद्यार्थी विकास समिति, नगर विद्यार्थी विकास समिति तथा जनपद विद्यार्थी विकास समिति के गठन और उनके स्वरूप के निर्देश दिये गये हैं। प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों के लिए प्रमुखतः विकास खण्ड तथा नगर विद्यार्थी विकास समितियाँ हैं। माध्यमिक स्तर की संस्थओं का विशेष रूप से जनपद विद्यार्थी विकास समिति से सबंध है। अतः विद्यालय संकुल अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से इस समिति को संस्था में आयोजित

होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी देकर मार्गदर्शन तथा सहयोग प्राप्त किया जाय।

12 विशेषज्ञों की सहभागिता :

कार्यानुभव तथा खेलकूद के आयोजन में स्थानीय विशेषज्ञों की सहभागिता भी आवश्यक है। संस्था के अध्यापकों तथा प्रधान से यह अपेक्षित है कि वे स्थानीय विशेषज्ञों से संपर्क कर उनका सक्रिय सहयोग संस्था के लिए प्राप्त करें।

6. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया

कार्यानुभव की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं अवलोकन और पूछताछ (इन्क्वायरी) द्वारा कार्यजगत का अध्ययन, सामग्रियों, उपकरणों/यन्त्रों का कार्य विधि के साथ प्रयोग; और कार्य अभ्यास प्रथम दो पक्षों का संबंध उत्पादक कार्य और सेवाओं में वास्तविक सहभागिता का है जबकि तीसरा पक्ष उत्पादन की मात्रा और स्तर को बनाये रखने में सहायक सिद्ध होता है।

(2) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के निमित्त प्रत्येक विद्यालय की कार्यानुभव के अन्तर्गत कम से कम दो परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) की इस प्रकार लेना चाहिए कि एक परियोजना उस समुदाय में लगातार चलती हो जिस पर सतत् और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हों। दूसरी परियोजना तात्कालिक या अस्थायी प्रकृति की हो सकती है। इस स्तर पर किए गये कार्य से प्राप्य प्रतिफल जहाँ तक हो सके बाजार दर से कम अथवा समकक्ष होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में एक परियोजना पौध तैयार करने की ली जा सकती है। जिसका सम्बन्ध समुदाय से सदैव के लिए जुड़ा हुआ है जबकि दूसरी परियोजना में मोमबत्ती निर्माण, चाक निर्माण इत्यादि कार्यों में से कोई एक चुना जा सकता है। सर्वेक्षण में प्राप्त आख्या/सुझाव के अनुसार इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(3) कार्यानुभव और खेलकूद के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि समस्या-समाधान अधिगम का अनुकरण किया जाय। समस्या समाधान विधि का अनुप्रयोग तभी हो सकता है जब गतिविधियाँ छात्रों द्वारा अनुभवजन्य फेल्ट नीड हों। ऐसी स्थिति में बच्चों का ध्यान उनकी आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं की ओर आकर्षित करना सरल होगा। समस्या-समाधान के परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन देना श्रेयस्कर होगा जिससे वे सामग्रियों, उपकरणों/यंत्रों और कार्य-सम्पादन के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श कर समुचित कार्यों का प्रतिपादन कर समस्या का समाधान पा सकें।

(4) खेलकूद का हर कार्यक्रम अधिगम की परिस्थितियों का क्रियात्मक स्वरूप होता है। हर बिंदु अभ्यास व्यवहार और मूल्य से सम्बंधित है। कक्षा-शिक्षण में जिन गुणों, आदतों और चारित्रिक सद्गुणों के मूल्यों से सम्बंधित होने की

हम कल्पना करते हैं, खेल के मैदान में उन्हें साकार किया जा सकता है। बालक खेलता है, आनन्द पाता है, शरीर का हर अंग क्रियाशील होता है। जीतता है, हारता है। अब जीत में उसे कैसा व्यवहार करना है, हार में उसे कैसे रहना है, इन संस्थितियों की कक्षा-शिक्षण में लाना संभव नहीं है किन्तु कार्यानुभव की गतिविधियों और खेलकूद के क्रियकलापों में इनका मूल्यांकन सम्भव है। यह छात्र/छात्रा के समग्र व्यक्तित्व को संतुलित करने तथा शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप दिशा देने और विकास करने में सहायक है।

(5) कार्यानुभव और खेलकूद के कार्यक्रम यदि यांत्रिक हो गये, तो इनका मूल उद्देश्य ही प्रताड़ित हो जायेगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसी सदर्भ में कार्यानुभव तथा खेलकूद के अभ्यासों तथा कार्यक्रमों के आयोजन और उनके मूल्यांकन की जीवन्त व्यवस्था में शिक्षक समुदाय को, अपनी भूमिका के अनुरूप दायित्व का निर्वहन करना है।

परिशिष्ट 1

माध्यमिक स्तर

1 अनिवार्य क्रियाएं :

(1) बस और रेलवे समय-सारिणी का उपयोग करना।

(2) आस-पास के तार घर तथा बैंक की कार्य-प्रणाली और बैंक खाता खोलने की औपचारिकताओं का ज्ञान प्राप्त करना।

(3) स्कूल में स्वागत डेस्क पर काम।

(4) शालाओं में मध्याह्न भोजन/जलपान बनाना और उसका वितरण।

(5) अपनी और निचली कक्षाओं के लिए पठन सामग्री/उपकरण बनाना।

(6) शाला के अधिकारियों को प्रदर्शनियाँ, पिकनिक, यात्रा, भ्रमण इत्यादि आयोजित करने में सहायता करना।

(7) प्रथमोपचार क्रियाएं जैसे नाड़ी देखना, तापमान लेना, घावों की सफाई करना और पट्टी बाँधना।

(8) यातायात नियंत्रण में यातायात पुलिस की सहायता करना।

(9) छायादार/ईंधन के काम आने वाले/सजावटी/रास्ते के दोनों तरफ लगने वाले वृक्षों का रोपण करना।

(10) पारिवारिक बजट बनाना और दैनिक घरेलू खर्चों का हिसाब रखना।

(11) सामान्य रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा उचित उपकरणों द्वारा उनका उपयोग।

(12) पौधों को आम कीटव्याधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा पौध-संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों का उपयोग।

(13) मवेशियों को आहार देना, उन्हें नहलाना अथवा उनका सामान्य परीक्षण करना।

(14) मवेशियों के बाड़े से तरल उच्छिष्ट पदार्थ इकट्ठा करने के लिए सोकपिट बनाना।

(15) गाँव/शहर/गन्दी बस्ती/आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के आहार तथा स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन करना।

(16) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता करना तथा घर-घर

जाकर सम्पर्क कार्यक्रमों द्वारा समाज की आहार, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दशा में सुधार लाना।

(17) यात्रा/मेलों आदि के अवसर पर लम्बी खाई वाले शौचालय बनाना तथा उन्हें स्वच्छतापूर्वक चलाना।

(18) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेना।

(19) बालवाड़ियों में शिशुओं की देखभाल में मदद करना।

(20) अस्पतालों, मेलों में तथा बाढ़, सूखे और दुर्घटनाओं के समय स्वयं-सेवी कार्य।

2 वैकल्पिक कार्यक्रम :

(1) फूलों और सब्जियों को उगाना तथा क्यारियों में उनकी पौध तैयार करना।

(2) पौध संरक्षण उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव।

(3) सिंचाई के लिए साँचे द्वारा नालियाँ गढ़ना।

(4) वानस्पतिक संवर्धन (आँख लगाना, कलम लगाना, कटिंग, दाब कलम इत्यादि) द्वारा पौधे तैयार करना।

(5) अंडों तथा मांस के लिए मुर्गीपालन।

(6) डबल रोटी, केक, पेस्ट्री इत्यादि बनाना।

(7) खाद्य संरक्षण - जैम-जेली, टोमेटो केचप, अचार इत्यादि बनाना।

(8) ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोतों (सूर्य, तेज हवा, पानी की लहरें, बायो-गैस, इत्यादि से संबंधित परियोजनाएं)

(9) पाककला।

(10) मधुमक्खी पालन, शहद को बोतलों में भरना और विपणन।

(11) रेशमी कीड़ों का पालन।

(12) स्वयं के उपयोग के लिए, डिब्बा बन्द या सूखी दशा में संरक्षण के लिए अथवा बिक्री के लिए खुम्बियों की खेती करना।

(13) छोटे-छोटे पोखरों में मछली पालन।

(14) फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी तथा अन्न का सुरक्षित भंडारण।

(15) जैवीय उर्वरकों का उपयोग।

(16) विविध दुग्ध पदार्थ बनाना।

(17) कीट-व्याधियों से पौधों का संरक्षण।

(18) भूमि की जाँच तथा भूमि सुधार के उपाय।

(19) फाइल, फाइल बोर्ड, रजिस्टर, लिखने के पैड, मुहर लगाने की स्याही इत्यादि स्टेशनरी चीजें बनाना।

(20) व्यावसायिक तौर पर बंधनी तथा स्क्रीन प्रिन्टिंग का काम करना।

(21) पहनने के कपड़े बनाना।

(22) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत तथा रख-रखाव।

(23) घर/स्कूल में उपयोग के लिए अथवा बिक्री के लिए बिजली के एक्सटेन्शन बोर्ड बनाना।

(24) मोटर-बाइंडिंग—एक रोजगार के रूप में।

(25) व्यावसायिक फोटोग्राफी।

(26) रद्दी कागज से कागज बनाना।

(27) प्लास्टर ऑफ पेरिस से अधिक परिष्कृत सजावटी चीजें बनाना।

(28) चटाइयाँ तथा कालीन बनाना।

(29) गुड़िया बनाना।

(30) हाथ से कशीदाकारी।

(31) पर्याप्त दक्षता के साथ टाइप राइटिंग।

(32) स्टेनोग्राफी।

(33) पौष्टिक स्वल्पाहार बनाना।

(34) शाला में उपयोग के लिए विभिन्न सहायक पठन सामग्री बनाना।

(35) प्लम्बिंग।

(36) सहकारी भंडार चलाना।

(37) छात्र बैंक चलाना।

(38) पुस्तक बैंक चलाना।

स्रोत — स्कूल शिक्षा में कार्यानुभव-मार्ग-निर्देश, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

परिशिष्ट II

कार्यानुभव तथा खेलकूद का मूल्यांकन (संचयी अभिलेख)

सत्र . . . . . .

विद्यालय . . . . . .

छात्र संबन्धित सूचनाएं

(1) सामान्यः

नाम . . . . . जन्म तिथि . . . . . .

पिता/अभिभावक का नाम . . . . . .

व्यवसाय तथा आर्थिक स्थिति . . . . . अच्छी/अच्छी नहीं

पत्र व्यवहार का पता . . . . . .

कक्षा . . . . . वर्ग . . . . . .

छात्र पंजिका संख्या (एस० आर० संख्या) . . . . . .

(2) स्वास्थ्य सम्बन्धीः

(i) भार . . . (ii) ऊँचाई . . . (iii) स्वास्थ्यः उत्तम/सामान्य/खराब

(3) व्यक्तित्व सम्बन्धी :

	अति उत्तम	उत्तम	सामान्य
(i) आत्म विश्वास			
(ii) शिष्टाचार			
(iii) श्रमशीलता			
(iv) सहयोग			
(v) नेतृत्व			
(vi) सृजनात्मकता			

(4) रुचियाँ :

बाह्य क्रिया-कलाप/यान्त्रिक/गणितीय/लिपिकीय/साहित्यिक/खेलकूद/कलात्मक/संगीत/सामाजिक सेवा या अन्य रुचि (लिखिए)।

(क) मासिक मूल्यांकन

माह	कार्यानुभव								खेलकूद								
	अभ्यास कार्य				उपलब्धि			योग	सतत् अभ्यास		खेल भावना			उपलब्धि				योग
	उपस्थिति	अभिप्रेरणा	सहभागिता	अनुशासन	उत्कृष्टता	मौलिकता	श्रमशीलता		उपस्थिति	सहभागिता	जीत में नम्रता	हार में उत्साह	अनुशासन	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रतियोगिता में भाग लिया एवं पूर्ण किया	
	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	2 अंक	2 अंक	2 अंक	10 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	5 अंक	4 अंक	3 अंक	2 अंक	10 अंक
1. जुलाई																		
2. अगस्त																		
3. सितम्बर																		
4. अक्टूबर																		
5. नवम्बर																		
6. दिसम्बर																		
7. जनवरी																		
8. फरवरी																		
योग																		

(ख) वार्षिक मूल्यांकन (20 अंक)

(i) कार्यानुभव

(ii) खेलकूद

प्राप्तांक

(ग) मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन योग तथा श्रेणी

पूर्णांक	कार्यानुभव	खेलकूद
मासिक (80)		
वार्षिक (20)		
योग (100)		

श्रेणी	कार्यानुभव	खेलकूद
प्रथम		
द्वितीय		
तृतीय		

(घ) (i) प्रभारी अध्यापक का नाम. . . . . .

हस्ताक्षर

(ii) अभिभावक का नाम. . . . . .

हस्ताक्षर

जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी

नाम तथा हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

टिप्पणी

(1) क्रम 'ग' के स्तम्भों की प्रविष्टियां माह फरवरी तक मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन पूर्ण हो जाने पर की जायें।

(2) श्रेणी का उल्लेख शब्दों में किया जाय। शेष खण्डों में क्रास (X) लगा दिया जाय। श्रेणी का निर्धारण निम्नवत् प्राप्तांक पर आधारित होगा—

60 अथवा 60 से अधिक	.....	प्रथम श्रेणी
45 से 59 तक	.....	द्वितीय श्रेणी
33 से 44 तक	.....	तृतीय श्रेणी

(3) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रभारी अध्यापक पिछले माह के मासिक मूल्यांकन की प्रविष्टि कर विद्यार्थी को देंगे तथा विद्यार्थी अभिभावक के हस्ताक्षर कराकर संचयी अभिलेख दूसरे दिन प्रभारी अध्यापक के पास जमा कर देंगे। प्रति-माह यह कार्य 10 तारीख तक अवश्य पूरा किया जाय।

(4) संचयी अभिलेख की छपाई कक्षा 6, 7 तथा 8 के लिए लाल रंग में, कक्षा 9 तथा 10 के लिए मैरून रंग में और कक्षा 11 तथा 12 के लिए नीले रंग में करायी जाय।

(5) प्रथम पृष्ठ की सभी सूचनाओं की प्रविष्टि प्रभारी अध्यापक द्वारा की जायेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी/अच्छी नहीं के लिए शिक्षक अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर प्रविष्टि करेंगे।

(6) छात्र के व्यक्तित्व सम्बन्धी मूल्यांकन की प्रविष्टि वार्षिक मूल्यांकन पूर्ण हो जाने पर जब क्रम (ग) के स्तम्भों की प्रविष्टि की जाय, उस समय किया जाय। उपर्युक्त खण्ड में (✓) का चिह्न लगाया जाय। शेष खण्डों में क्रास (X) लगा दिया जाय।

(7) छात्र की रुचि अथवा रुचियों का मूल्यांकन प्रभारी अध्यापक वार्षिक मूल्यांकन के साथ करेंगे। छात्र की उपयुक्त रुचि/रुचियों पर (✓) चिह्न लगाया जाय। अंकित के अतिरिक्त रुचि दृष्टिगोचर होने पर उसे उल्लिखित किया जाय।

(8) संचयी अभिलेख के लिए 17" X 27" आकार में 8.9 कि० ग्रा० भार का सफेद कागज प्रयोग में लाया जाय, अर्थात् संचयी अभिलेख 2 पेज के 4 पृष्ठों में 6 1/2 X 8 1/4" के माप में होगा।

कार्यानुभव आन्तरिक	स्क्रीन पेन्टिंग बुनाई	श्री बशीर अहमद
	वारनिश स्टेन्सिल	,, धन्ना लाल
	पोस्टर आदर्श वाक्य	,, शिवकुमार लाल
	फाईवर ग्लास काष्ट कला	,, उमेश चन्द्र खरे
	फोटो ग्राफी फल संरक्षण स्याही	,, रामानन्द दीक्षित
	कम्प्यूटर	,,ए० डी० तिवारी
कार्यानुभव वाह्य	सफाई	,, सुरेन्द्र नारायण सिंह
	सफेदी	,, भूपन सिंह कुशवाहा
	रंगाई	,, एस० के० लाल
	पेंटिंग	,,धन्ना लाल
	बागवानी	,, भूषण सिंह कुशवाहा
स्काउटिंग रेडक्रास	स्काउटिंग	,, सूबेदार मिश्र ,, टी० एन० श्रीवास्तव
	रेडक्रास	,,राम अवतार पाण्डेय ,,रवी सिंह
सांस्कृतिक कार्यक्रम	अन्त्याक्षरी	,, शारदा प्रसाद शुक्ल
	सुभाषित	,, नरेन्द्र नाथ दुबे
	कविदरबार	,,सुधाकर द्विवेदी
	वृन्दगान	,, के० एल० अरोड़ा
खेलकूद	खो खो	, वाई० पी० सिंह
	कबड्डी	,, गौरीश नरायन सिंह ,,पी० एन० सिंह
	वॉलीवाल	,,पी० एन० सिंह
	कूद	,, उदय नाथ सिंह
	प्रक्षेप	,,हरिशंकर सिंह
व्यायाम	पी० टी	पदमाकर द्विवेदी

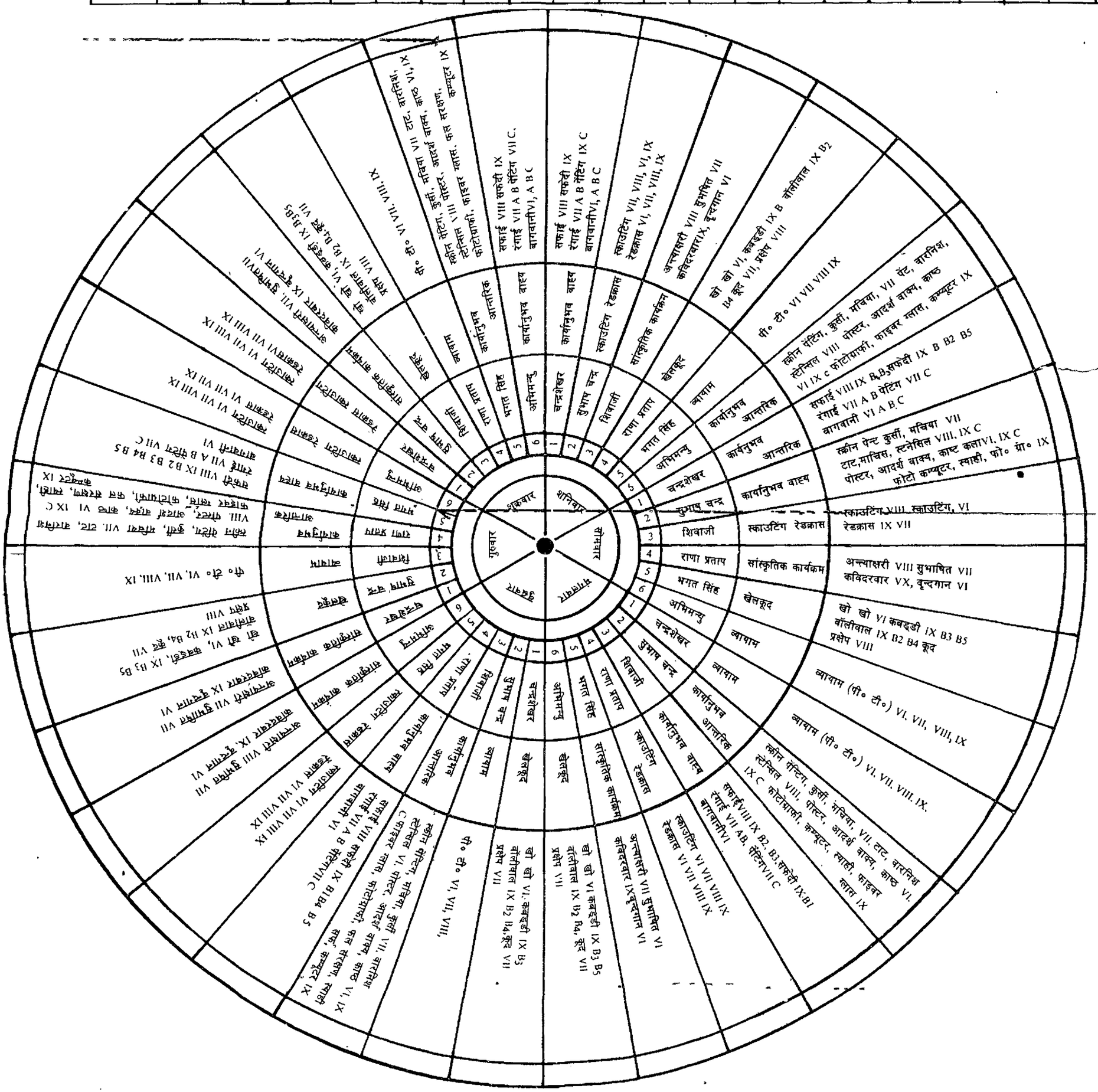

कार्यानुभव तथा खेलकूद समय विभाजन चक्र (बालक विद्यालय)

कार्यानुभव तथा खेलकूद समय विभाजन चक्र

(बालक विद्यालय)

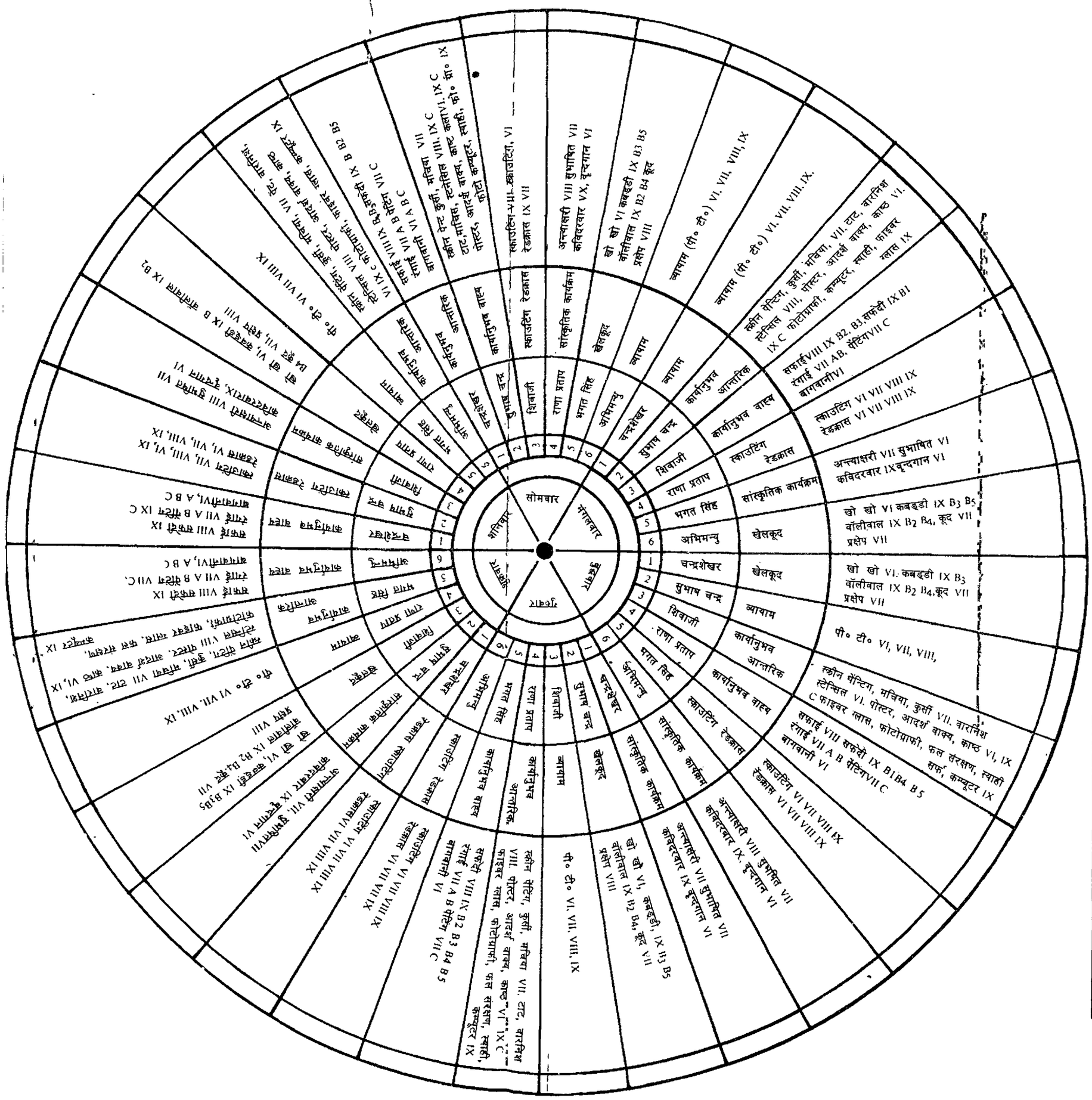

	1	2	3	4	5	6
कक्षा क्र. नाम	चन्द्रशेखर	सुभाषचन्द्र	शिवाजी	राणा प्रताप	भगत सिंह	अभिमन्यु
vi A	1-21	22-42	43-63	64-84	85-105	106-124
vi B	1-22	23-44	45-66	67-88	89-112	113-137
vi C	1-20	21-40	41-60 125	61-80	81-100	101-124 127
vii A	1-17	18-34	35-51	52-69 115-123	70-92	93-114 124
vii B	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120
vii C	1-18	19-36	37-54	55-72	73-90	91-111
viii A	1-17	18-34	35-51	52-68 103-107	69-85	86-102 108
viii B	1-18	19-36	37-54	55-72	73-90	91-118
viii C	1-18	19-36	37-54	55-72	73-90	91-107
ix B_1	1-14	15-28	29-42	43-56	57-70	71-78
ix B_2	1-12	13-24	25-36 80-83	37-48	49-60	61-79 84
ix B_3	1-13	14-27	28-40	41-53	54-67	68-85
ix B_4	1-14	15-28	29-42	43-56	57-73	74-95
ix B_5	1-19	20-38	39-54	55-70	71-86	87-100
ix C	1 - 8	9 - 16	17-24	25-31	32-38	39-45
योग	251	252	254	262	259	275
महायोग	1553					

परिशिष्ट V

कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रमों के मूल्यांकन की व्यवस्था से सम्बन्धित संचयी अभिलेख पंजिकाओं के प्रारूप

विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यानुभव तथा खेलकूद कार्यक्रम के मूल्यांकन व्यवस्था के लागू किये जाने की छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित सूचनायें तथा उनकी उपलब्धियों के अभिलेख हेतु निम्नांकित पंजिकायें रखी जायं :——

1. गृह (हाउस) संचयी अभिलेख पंजिका
2. कक्षा संचयी अभिलेख पंजिका
3. कार्यक्रम उपस्थिति पंजिका
4. अंक पत्र

1. गृह (हाउस) संचयी अभिलेख पंजिका

यह पंजिका गृह (हाउस) इंचार्ज अध्यापक/अध्यापिका के पास रहेगी। इस पंजिका में निम्नांकित पाँच खंडों में प्रविष्टियाँ की जायं :——

खंड—I

(1) गृह (हाउस) प्रभारी (अध्यापक/अध्यापिका) का नाम. . . . . .

(2) गृह (हाउस) का नाम. . . . . .

(3) गृह (हाउस) संख्या (यदि गृह प्रणाली के प्रत्येक गृह (हाउस) की संख्या आवंटित की गई हो). . . . . .

(4) गृह (हाउस) के छात्र/छात्राओं की कुल सख्या. . . . . .

(5) गृह (हाउस) में सम्मिलित कक्षाओं के प्रभारी का नाम. . . . . .

कक्षा . . . . . प्रभारी का नाम . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

खंड–2 गृह (हाउस) के विभिन्न कार्यक्रमों की निर्देशिका :

खेल

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

स्काउट/गाइड एवं रेडक्रास

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

पी० टी०/सामूहिक व्यायाम

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

सांस्कृतिक कार्यक्रम

. . . . . .

कार्यानुभव (विद्यालय के अन्दर)

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

कार्यानुभव (वाह्य)

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

खंड —3 गृह (हाउस) में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का नाम, कक्षा/वर्ग मानीटर सहित :

इस खंड में निम्नांकित रूप पत्र में सूचना रखी जाय : —

क्र० सं०	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा एवं वर्ग	ग्रुप लीडर/मानीटर का नाम

खंड —4 इस खंड में छात्र/छात्रा से सम्बन्धित उसके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं रुचियों से सम्बन्धित जानकारी निम्नांकित प्रारूप पर रखी जाय :——

क्र० सं०	छात्र/छात्रा का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	कक्षा एवं वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(स्वास्थ्य सम्बन्धी)

गृह (सदन) का नाम	भार	ऊंचाई	स्वास्थ्य (उत्तम/सामान्य/खराब)
(6)	(7)	(8)	(9)

(व्यक्तित्व सम्बन्धी)

आत्म विश्वास	शिष्टाचार	श्रमशीलता	सहयोग	नेतृत्व	सृजनात्मकता	रुचियां
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

खंड 5 इस खंड में मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर छात्र/छात्रा वार रखा जाय :

क्रम संख्या

. . . . . .

. . . . . .

छात्र/छात्रा का नाम

. . . . . .

. . . . . .

कार्यानुभव

अभ्यास कार्य						उपलब्धि		
माह	उपस्थिति	अभिप्रेरणा	सहभागिता	अनुशासन	उत्कृष्टता	मौलिकता	श्रमशीलता	योग
	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	2 अंक	2 अंक	2 अंक	10 अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मई								
जनवरी								

खेलकूद

सतत् अभ्यास		खेल भावना			उपलब्धि				
उपस्थिति	सहभागिता	हार में उत्साह	जीत में नम्रता	अनुशासन	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रतियोगिता में भाग लिया एवं पूर्ण किया	योग
1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	5 अंक	4 अंक	3 अंक	2 अंक	10 अंक
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
योग									

प्रथम	द्वितीय	तृतीय	सम्मिलित होना	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	सम्मिलित होना
प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण चौथा चरण							
योग							

मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन का महायोग _____

2. कक्षा संचयी अभिलेख पंजिका

यह पंजिका कक्षा प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका द्वारा तैयार की जायेगी तथा प्रविष्टियाँ भी उन्हीं के द्वारा की जावेंगी। इस पंजिका में मुख्यतः 2 खंड होंगे :—

खंड — 1 इस खंड में गृह (हाउस) वार छात्र/छात्रा का विवरण निम्नांकित प्रारूप में रखा जायेगा।

क्र० सं०	छात्र/छात्रा का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	कक्षा एवं वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(स्वास्थ्य सम्बन्धी)

गृह (सदन) का नाम	भार	ऊंचाई	स्वास्थ्य (उत्तम/सामान्य/खराब)
(6)	(7)	(8)	(9)

(व्यक्तित्व सम्बन्धी)

आत्म विश्वास	शिष्टाचार	श्रमशीलता	सहयोग	नेतृत्व	सृजनात्मकता	रुचियां
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

गृह (हाउस)

गृह (हाउस)

खंड—2 इस खंड में गृह (हाउस) की छात्रवार मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन की प्रविष्टियाँ निम्नांकित प्रारूप में तैयार कर रखी जायेंगी : —

कार्यानुभव

अभ्यास कार्य					उपलब्धि			
माह	उपस्थिति	अभिप्रेरणा	सहभागिता	अनुशासन	उत्कृष्टता	मौलिकता	श्रमशीलता	योग
	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	2 अंक	2 अंक	2 अंक	10 अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मई								
जनवरी								

खेलकूद

सतत् अभ्यास		खेल भावना			उपलब्धि				
उपस्थिति	सहभागिता	हार में उत्साह	जीत में नम्रता	अनुशासन	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रतियोगिता में भाग लिया एवं पूर्ण किया	योग
1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	1 अंक	5 अंक	4 अंक	3 अंक	2 अंक	10 अंक
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
योग									

वार्षिक मूल्यांकन ——— कार्यानुभव ——— श्रेणी ——— खेलकूद ——— अन्य विवरण

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	सम्मिलित होना	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	सम्मिलित होना
प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण चौथा चरण								
योग								

मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन का महायोग ———————

3. कार्यक्रम उपस्थित पंजिका

इस पंजिका में छात्र/छात्रा की उपस्थिति अंकित की जाय। इस हेतु निम्नवत् स्तम्भ निर्धारित किये जायँ :—

गृह (हाउस) का नाम _____

ग्रुप/वर्ग का नाम _____

कक्षा _____

क्र० सं०	छात्र/छात्रा का नाम	तिथियाँ

4. अंक पत्र

निम्नांकित स्तम्भों में अंक पत्र मासिक मूल्यांकन तथा वार्षिक मूल्यांकन (विभिन्न चरणों) के बाद दो प्रतियों में तैयार किया जाय :—

गृह हाउस का नाम..

क्रम संख्या	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा/वर्ग	प्राप्तांक

NIEPA DC
D04835

कार्यक्रम प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका के हस्ताक्षर

अंक पत्र कार्यक्रमों के आयोजक अध्यापक/अध्यापिका द्वारा दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति अध्यापक/
अंक पत्र कार्यक्रमों के आयोजक अध्यापक/अध्यापिका द्वारा दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा,
अध्यापिका को दी जाय तथा दूसरी प्रति गृह (हाउस) प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका को दी जाय।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-4835
Date 19/8/99